



भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक

निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)

गंगटोक स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए ई-निविदा (अवधि: प्रारंभिक एक वर्ष, अर्थात 01 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2027 तक)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक, "गंगटोक स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने" के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। अनुबंध की अवधि प्रारंभिक बारह माह की होगी। ई-निविदा प्रक्रिया केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल (CPPP) के ई-निविदा पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के माध्यम से संपन्न की जाएगी। ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी पात्र और इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों का उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करना अनिवार्य है।
2. इच्छुक निविदादाताओं को बयाना जमा राशि (Earnest Money) के रूप में ₹64,911.00/- (रुपये चौसठ हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की राशि का भुगतान केवल NEFT/नेट बैंकिंग के माध्यम से 'भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक' के नाम से करना होगा। प्रेषण के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य को एक सीलबंद लिफाफे में, जिस पर "गंगटोक स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने की ई-निविदा के लिए बयाना जमा राशि (EMD FOR E-TENDER...)" अंकित हो, 'क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक' के नाम संबोधित करके प्रेषित किया जाना चाहिए। यह लिफाफा निविदा अनुसूची के खंड - I में दी गई क्रम संख्या (g) के अनुसार P&SE कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
3. आवेदन करने वाले इच्छुक पक्षों को आवश्यक पात्रता रखने का दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो बैंक उनकी निविदाओं को अस्वीकार करने का हकदार होगा। बिना बयाना जमा राशि (EMD) वाली ई-निविदाओं को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही, बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. भविष्य में यदि निविदा में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र (corrigendum) जारी किया जाता है, तो उसकी सूचना केवल उपरोक्त आरबीआई वेबसाइट और CPPP पोर्टल पर दी जाएगी; इसे किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
गंगटोक

भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार एवं सुरक्षा स्थापना
गंगटोक क्षेत्रीय कार्यालय, गंगटोक

भाग - I

गंगटोक स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए ई-निविदा

निविदादाता का नाम:

पिन कोड सहित डाक का पता:

दूरभाष / फ़ैक्स / मोबाइल संख्या:

ई-मेल पता:

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। उक्त प्रयोजन हेतु RBI को उत्तर देने के उद्देश्य को छोड़कर, इसे RBI की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा) पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी भी प्रयोजन के लिए इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, सख्ती से वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन की श्रेणी में आएगा; अतः, यह भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक गंगटोक

आरबीआई/गंगटोक/एचआरएमडी/----- (प्रशिक्षित अग्रिशमन कर्मचारी)

गंगटोक स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्रि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्रिशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध हेतु ई-निविदा

अस्वीकरण (Disclaimer)

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष, मानव संसाधन प्रबंध विभाग (HRMD), गंगटोक ने इस दस्तावेज़ को परियोजना संबंधी पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से इच्छुक पक्षकारों के लिए तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे यथोचित मानता है, तथापि न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी, अथवा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं या सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी अथवा इसके साथ संलग्न की गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या यथार्थता के संबंध में कोई वारंटी दी गई है या कोई अभिव्यक्त अथवा निहित अभिकथन (representations) किया गया है।

यह जानकारी संपूर्ण (exhaustive) होने के उद्देश्य से नहीं दी गई है। इच्छुक पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अपने स्तर पर आवश्यक जांच-पड़ताल करें। उत्तरदाताओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे लिखित रूप में पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और निविदा प्रस्तुत करते समय उन्होंने केवल RBI द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं रहा है। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी, अथवा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना को आगे न बढ़ाने, परियोजना के स्वरूप (configuration) में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने, अथवा लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही, रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी बैंक सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत का प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक गंगटोक

गंगटोक स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

विषय सूची (Table of Contents)

खंड / अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ संख्या
भाग - I		
खंड I	निविदा अनुसूची (Schedule of Tender)	4
खंड II	ई-खरीद हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश	6
खंड III	निविदादाताओं के लिए सामान्य अनुदेश	10
खंड IV	मूल्यांकन / चयन मानदंड	21
खंड V	कार्य का व्यापक क्षेत्र (Broad Scope of Work)	23
	कर्तव्य और उत्तरदायित्व	26
	सामान्य नियम और शर्तें	32
	तकनीकी और वित्तीय निविदाओं संबंधी सामान्य अनुदेश	41
	तकनीकी निविदा प्रपत्र - 1	46
	तकनीकी निविदा प्रपत्र - 2	48
अनुलग्नक-I	अनुभव का विवरण	51
अनुलग्नक-II	फर्म/एजेंसी/कंपनी के निष्पादन संबंधी ग्राहक प्रमाण पत्र	52
अनुलग्नक-III	निविदा जमा करने हेतु जांच सूची (Check List)	53
अनुलग्नक-IV	निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र (Undertaking)	55
अनुलग्नक-V	वार्षिक कारोबार का प्रमाण पत्र	56
अनुलग्नक-VI	बैंकों का विवरण	57
भाग - II		
	वित्तीय निविदा का प्रारूप (Proforma of Financial Bid)	59
	वेतन विश्लेषण (दरों का ब्यौरा)	60

खंड - I

निविदा अनुसूची (SCHEDULE OF TENDER)

(केवल ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से)

क्र.	विवरण	विस्तृत विवरण
	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/गंगटोक/एचआरएमडी/----- (प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी)
	ई-निविदा का नाम	गंगटोक स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध।
(क)	अनुमानित लागत	रुपये 32,45,551/- (रुपये बत्तीस लाख पैंतालीस हजार पांच सौ इक्कवन मात्र) लगभग (सभी करों को छोड़कर)।
(ख)	ई-निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा और भाग II - मूल्य निविदा सीपीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से)
(ग)	ई-निविदा का प्रकार	खुली (दो-निविदा प्रणाली)
(घ)	पक्षकारों द्वारा डाउनलोड करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) उपलब्ध होने की तिथि	01 सितंबर 2026, दोपहर 12:00 बजे से
(ङ)	बोली पूर्व बैठक (Pre-bid meeting)	ऑफलाइन: 28 सितंबर 2026, दोपहर 12:00 बजे स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, अमदो गोलाई, गंगटोक
(च)	(i) बयाना जमा राशि जमा (EMD) NEFT / नेट बैंकिंग के माध्यम से और पोर्टल पर विवरण अपलोड करें। साथ ही, लेन-देन विवरण (UTR संख्या) को ई-मेल: psegangtok@rbi.org.in पर सूचित/अग्रेषित करें। (ii) ई-निविदा शुल्क	(i) रुपये 64,911.00/- (रुपये चौसठ हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) का भुगतान NEFT के माध्यम से। लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC कोड: RBIS0GTPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) (ii) शून्य (NIL)
(छ)	बयाना जमा राशि (EMD) जमा करने की अंतिम तिथि। (यदि लागू हो, तो निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व या उसी दिन NEFT विवरण की हार्ड कॉपी हाथ से/डाक द्वारा/कुरियर से जमा करनी अनिवार्य है)	12 अक्टूबर, 2026 दोपहर 02:00 बजे तक
(ज)	सीपीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन तकनीकी निविदा और मूल्य निविदा जमा करने हेतु ई-निविदा प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि	01 सितंबर 2026, दोपहर 12:00 बजे से आगे
(झ)	तकनीकी निविदा और मूल्य निविदा जमा करने हेतु ऑनलाइन ई-निविदा समाप्त होने की तिथि	12 अक्टूबर, 2026 दोपहर 02:00 बजे तक
(ञ)	भाग-प्रथम (अर्थात तकनीकी निविदा) खोले जाने की तिथि एवं समय। भाग-II अर्थात मूल्य निविदा खोले जाने की तिथि की सूचना पृथक रूप से दी जाएगी	13 अक्टूबर, 2026 दोपहर 03:00 बजे तक

(ट)	ई-निविदा की वैधता	तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि से 90 दिन
(ठ)	लेन-देन शुल्क (अप्रतिदेय) (ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निविदादाताओं द्वारा सीपीपीपी पोर्टल ई-भुगतान गेटवे को अलग से भुगतान किया जाएगा)	सीपीपीपी पोर्टल में उल्लिखित अनुसार लेन-देन शुल्क का भुगतान

खंड – II

ई-खरीद हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक की एक ई-खरीद प्रक्रिया है। खरीद सेवा प्रदाता/एजेंसी/विक्रेता 'पोर्टल लिमिटेड' है। निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने से पूर्व इस ई-निविदा के नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण (Registration): इस प्रक्रिया में विक्रेता का ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। केवल पंजीकरण के पश्चात ही विक्रेता अपनी निविदाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होगी। विक्रेता के पास 'श्रेणी -III' हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र (Digital Signature Certificate - DSC) होना अनिवार्य है। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर (P.C.) की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पोर्टल/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना निविदाएँ रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा केवल ऑनलाइन ही जमा की जानी हैं:

(<https://etenders.gov.in/eprocure/app>)

1. विक्रेताओं को ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है: (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) → ई-खरीद (e-Procurement) → सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग (PSU/ Govt depts) → आरबीआई का लोगो चुनें -> विक्रेता के रूप में पंजीकरण (Register as Vendor) -- विवरण भरें और अपना स्वयं का उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं और जमा करें।
2. विक्रेताओं को उनके ई-मेल पर एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा (जो ई-मेल पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया था)। किसी भी स्पष्टीकरण की स्थिति में, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पूर्व आरबीआई/पोर्टल से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई गंगटोक):

1. श्री निशबिंदर सिंह, (पीएसओ) सहायक प्रबंधक ई-मेल: nsingh@rbi.org.in | मोबाइल: 9892593104
2. श्री सांगे तामांग (पीएसओ) सहायक ई-मेल: sangaytaamang@rbi.org.in | मोबाइल: 8972970027

संपर्क व्यक्ति (पोर्टल):

1. श्री विजयंत नारायण सिंह, उप प्रबंधक संपर्क संख्या: 0522-4244702 / +91 99090 80178

पोर्टल केंद्रीकृत हेल्पडेस्क सं.: 07969066600 **ई-मेल:** (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) (कृपया ई-मेल भेजते समय विषय (Subject) में "HO Helpdesk" अवश्य लिखें)

ख) सिस्टम आवश्यकताएँ (System Requirement):

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम।
- ii) इंटरनेट एक्सप्लोरर (IE)-7 या उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र।
- iii) हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर (Signing type digital signature)।
- iv) सिस्टम में नवीनतम अपडेटेड JRE 8 (x86 Offline) सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए।

v) साइनर बॉक्स में डीएससी (DSC) दिखाने के लिए "प्रोटेक्टेड मोड" (Protected Mode) को निष्क्रिय करने हेतु निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं: * टूल्स (Tools) => इंटरनेट ऑप्शंस (Internet Options) => सुरक्षा (Security) => यदि सक्षम है तो प्रोटेक्टेड मोड को निष्क्रिय करें (अर्थात, "Enable Protected Mode" लिखे टिक बॉक्स से टिक हटा दें)। * अन्य सेटिंग्स: टूल्स => इंटरनेट ऑप्शंस => जनरल => "ब्राउज़िंग हिस्ट्री/डिलीट ब्राउज़िंग हिस्ट्री" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फाइलें (Temporary Internet Files) => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" (Every time I Visit the Webpage) को सक्रिय करें।

vi) सभी सक्रिय X नियंत्रणों (Active X controls) को सक्षम करने और 'पॉप-अप ब्लॉकर का उपयोग' (use pop up blocker) को निष्क्रिय करने के लिए: टूल्स → इंटरनेट ऑप्शंस → कस्टम लेवल (Custom level)। (कृपया एक बार पेज (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) से IE सेटिंग्स चलाएं)। vii) अधिक विवरण के लिए, विक्रेता सेवा प्रदाता/एजेंसी/विक्रेता गाइड और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का संदर्भ ले सकते हैं, जो (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर उपलब्ध हैं।

2. तकनीकी निविदा और वित्तीय/मूल्य निविदा ऑनलाइन (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर जमा की जानी होगी। ई-निविदाओं का उद्घाटन ई-निविदा में दिए गए निर्दिष्ट दिनांक और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
3. ई-निविदा में सभी प्रविष्टियां ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रारूपों में बिना किसी अस्पष्टता के भरी जानी चाहिए।
4. **लेन-देन शुल्क हेतु विशेष नोट:** विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" (My Menu) के अंतर्गत "ट्रांजैक्शन फी पेमेंट" (Transaction Fee Payment) लिंक का उपयोग करके लेन-देन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष ई-निविदा का चयन करना होगा। विक्रेताओं के पास NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। NEFT का चयन करने पर, विक्रेता फॉर्म भरकर एक चालान जनरेट करेंगे। विक्रेता को चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार, बिना किसी बदलाव के लेन-देन शुल्क की राशि जमा करनी होगी। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान पोर्टल के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेन-देन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड ई-मेल प्राप्त होगा।
 - लेन-देन शुल्क अप्रतिदेय (non-refundable) है।
 - लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।
 - **नोट:** निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा जमा करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त करने हेतु ईवेंट के समापन समय से काफी पहले लेन-देन शुल्क का भुगतान कर दें।
5. ई-निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान, अपलोड की गई ई-निविदाओं/संशोधन पत्रों (corrigendum) की जानकारी केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। अतः विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण के समय प्रदान किया गया उनका कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी वैध और अपडेटेड हो। विक्रेताओं से अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया जाता है।
6. निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक पहुंचा नहीं जा सकता है।
7. **ई-निविदा में निविदा प्रक्रिया (Bidding in e-tender):**
 - a) विक्रेता(ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन निविदा देने के पात्र होने के लिए पात्रता मानदंड, बयाना जमा राशि (EMD), ई-निविदा शुल्क और लेन-देन शुल्क (यदि कोई हो) के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ई-निविदा शुल्क और लेन-देन शुल्क अप्रतिदेय योग्य हैं। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) का बयाना जमा राशि ई-निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
 - b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय/मूल्य निविदा जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निविदा शामिल है।

- c) केवल वे विक्रेता जो लेन-देन शुल्क जमा कर चुके हैं, वे पोर्टल वेबसाइट (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) → ई-खरीद → सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग के माध्यम से इंटरनेट पर अपनी तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा जमा कर सकते हैं। → आरबीआई के तहत लॉगिन करें → माई मेनू → नीलामी फ्लोर मैनेजर (Auction Floor Manager) → लाइव ईवेंट → लाइव ईवेंट का चयन।
- d) विक्रेता को JAVA एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य निविदा फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें सामान्य नियम/वित्तीय विनिर्देश भरने होंगे और उसे सहेजना (save) होगा। इसके बाद तकनीकी निविदा पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चल रहा है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी निविदा को सहेज/जमा नहीं कर पाएंगे।
- e) तकनीकी निविदा भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी निविदा रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' (save) पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने पर, वित्तीय निविदा लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरा जाना चाहिए, फिर विक्रेता को अपनी वित्तीय निविदा रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार जब दोनों तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा सहेज ली जाती हैं, तो विक्रेता अपनी निविदा पंजीकृत करने के लिए "फाइनल सबमिशन" (Final submission) बटन पर क्लिक कर सकता है।
- f) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'अटैच डॉक' (Attach Doc) बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- g) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी निविदा जमा करते समय अपने स्वयं के आईडी और पासवर्ड के साथ डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना चाहिए।
- h) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से अज्ञान (anonymous) रहेंगे।
- i) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित दिनांक और समय से खुला रहेगा और उपरोक्तानुसार जितनी अवधि तक निर्धारित है, उतनी देर तक खुला रहेगा।
- j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक निविदाएं विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी निविदा को उस विक्रेता द्वारा दिया गया वैध प्रस्ताव माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसके स्वीकार होने से निष्पादन के लिए खरीदार और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनेगा।
- k) यह अनिवार्य है कि सभी निविदाएं डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- l) खरीदार को बिना कोई कारण बताए, स्थिति के अनुसार पूरी तरह से या आंशिक रूप से ई-निविदा को रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- m) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में निविदा जमा करना इस बात की पुष्टि करता है कि उसने ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों को स्वीकार किया है।
8. इस ई-निविदा के परिणामस्वरूप जारी किया गया कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा संचालित होगा।
 9. तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों में कोई विचलन अनुमति नहीं है।
 10. ई-निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या निविदा(ओं) प्राप्त करने की अंतिम तारीख बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

11. विक्रेताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा देने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए विक्रेता गाइड पढ़ें और पेज (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर उपलब्ध वीडियो देखें। तकनीकी सहायता के लिए, विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वे अंतिम क्षण की जल्दीबाजी से बचें और पोर्टल के केंद्रीकृत हेल्पडेस्क से काफी पहले संपर्क करें। यदि पोर्टल से किसी तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, तो निविदादाताओं को ई-निविदा समाप्ति दिवस से कम से कम एक दिन पहले पोर्टल से संपर्क करना चाहिए और अपने सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहिए।

खंड – III

निविदादाताओं के लिए सामान्य अनुदेश

खंडों की सारणी

क. सामान्य (General)

1. निविदा का क्षेत्र और सामान्य जानकारी
2. निविदा दस्तावेज़ प्राप्त करना
3. निषिद्ध प्रथाएं
4. ई-निविदा दस्तावेज़
5. पात्र निविदादाता / पात्रता मानदंड

ख. निविदा दस्तावेज़ की सामग्री (Contents of Tender Document)

6. निविदा दस्तावेज़ के खंड
7. निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण और पूर्व-निविदा बैठक
8. निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

ग. निविदाओं की तैयारी (Preparation of Tenders)

9. निविदा प्रक्रिया की लागत
10. निविदा में शामिल दस्तावेज़
11. निविदा सुरक्षा के रूप में बयाना जमा राशि (EMD) और लेन-देन शुल्क
12. बयाना जमा राशि (EMD) की जब्ती
13. निविदा पत्र
14. निविदादाता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़
15. विभाग का निरीक्षण
16. निविदाओं की वैधता अवधि

घ. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और उद्घाटन (Submission and Opening of Tenders)

17. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और अंकन
18. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
19. प्रत्येक निविदादाता के लिए एक निविदा
20. विलंबित निविदाएं
21. निविदा उद्घाटन

ङ. निविदाओं की जांच (Examination of Tenders)

22. गोपनीयता
23. निविदाओं का स्पष्टीकरण

च. निविदा मूल्यांकन और तुलना (Tender Evaluation and Comparison)

24. निविदाओं का मूल्यांकन
25. निविदादाता की योग्यता

26. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

छ. अनुबंध का आवंटन (Award of Contract)

27. आवंटन मानदंड

28. आवंटन की सूचना

29. अनुबंध पर हस्ताक्षर

30. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति

क. सामान्य (General)

1. निविदा का दायरा और सामान्य जानकारी 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक, गंगटोक स्थित आरबीआई कार्यालय परिसरों के लिए अग्नि सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर दोहरी बोली प्रणाली (two bid system) के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित करता है। यह अनुबंध प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए (निविदा आमंत्रण सूचना के पैरा 1 के अनुसार) निर्धारित अनुबंधात्मक दायित्वों के अनुरूप होगा। तथापि, संबंधित संस्था द्वारा सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन और अनुबंधात्मक दायित्वों के पालन की शर्त पर, बैंक द्वारा तय की गई गई अवधि के लिए अनुबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध का अनुमानित मूल्य निविदा अनुसूची के खंड-I, क्रम संख्यक (क) के अनुसार होगा। कार्य के व्यापक दायरा, सामान्य नियम व शर्तों और अपेक्षित कर्मचारियों के विवरण का विस्तृत विवरण खंड-V में दिया गया है। यदि आवश्यक हो, तो कार्य के आवंटन से पूर्व या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, फर्म/कंपनी द्वारा तैनात किए जाने वाले अग्निशमन कर्मचारियों की आवश्यक संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है। इसके अतिरिक्त, कार्य किसी भी फर्म/कंपनी को आवंटित करने का अधिकार भी बैंक सुरक्षित रखता है।

2. निविदा दस्तावेज़ प्राप्त करना 2.1 ई-निविदा दस्तावेज़ / निविदा आमंत्रण सूचना (Notice Inviting Tender) (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) से डाउनलोड की जा सकती है।

2.2 यदि कोई इच्छुक पक्ष चाहे, तो किसी और स्पष्टीकरण के लिए निविदा में दर्शाए गए फोन नंबर या ई-मेल पर शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष (Protocol & Security Cell) के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

3. निषिद्ध प्रथाएँ 3.1 बैंक यह अपेक्षा करता है कि बैंक के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में इच्छुक निविदादाता, आपूर्तिकर्ता और एजेंसियां, अनुबंध/संलग्नता की अवधि के दौरान आचार की उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुपालन में, बैंक:

(a) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दिए गए पदों को 'निषिद्ध प्रथाओं' के रूप में परिभाषित करता है:

(i) "भ्रष्ट आचरण" (corrupt practice) से तात्पर्य किसी अन्य पक्ष की कार्रवाइयों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मूल्य की किसी भी वस्तु की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या याचना करना है;

(ii) "धोखाधड़ीपूर्ण आचरण" (fraudulent practice) से तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य या चूक से है, जिसमें गलत बयानी (misrepresentation) शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी को गुमराह करती है, या प्रस्तुत पाठ का औपचारिक हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है:

iii) "भ्रष्ट आचरण" का तात्पर्य किसी पक्ष को वंचित करने, किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने अथवा किसी दायित्व से बचने के उद्देश्य से जानबूझकर किए गए किसी भी कार्य से है जिसमें गलत बयानी या तथ्यों को छिपाना शामिल है;

iv) "दबावपूर्ण आचरण" का तात्पर्य किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पक्ष को हानि पहुँचाने, हानि पहुँचाने की धमकी देने या उसकी संपत्ति को क्षति पहुँचाने से है; तथा

iv) "सांठगांठपूर्ण आचरण" का तात्पर्य दो या अधिक पक्षों के बीच की गई किसी ऐसी व्यवस्था से है जो अनुचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई हो, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना भी शामिल है;

(b) यदि यह निर्धारित किया जाता है कि निविदा हेतु अनुशंसित निविदादाता ने संबंधित निविदा में प्रतिस्पर्धा करते समय वर्जित आचरण में संलग्न हुआ है, तो सौंपने हेतु प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा;

(c) यदि बैंक किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि निविदादाता ने निविदा में प्रतिस्पर्धा करते समय या अनुबंध को निष्पादित करते समय वर्जित आचरण में संलग्न हुआ है, तो वह निविदादाता को या तो अनिश्चित काल के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकता है।

3.2 इसके अतिरिक्त, निविदादाताओं को खंड व (कार्य का व्यापक दायरा, सामान्य नियम व शर्तें तथा कर्तव्य और उत्तरदायित्व) में वर्णित प्रावधानों से अवगत होना चाहिए।

4. ई-निविदा दस्तावेज़

4.1 निविदा में दस्तावेज़ (भाग-I और भाग-II) शामिल होंगे। भाग-I में तकनीकी और वाणिज्यिक पात्रता शर्तें (सभी अनुभाग और अनुबंध) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए अनुसूची, संशोधन या शुद्धिपत्र आदि शामिल होंगे।

4.2 भाग-II में केवल वित्तीय/मूल्य बोली होगी।

4.3 निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि वे ई-निविदा दस्तावेज़ों का पूर्णतः अध्ययन करें।

4.4 ई-निविदा का प्रस्तुतीकरण तभी पूर्ण माना जाएगा जब निविदादाता ने ई-निविदा दस्तावेज़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण किया हो और इसके निहितार्थों को पूर्णतः समझ लिया हो।

5. पात्र निविदादाता / पात्रता मानदंड

बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली एजेंसी को निविदा फॉर्म के साथ दस्तावेज़ी प्रमाण की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। जो एजेंसी इन मानदंडों में से किसी का भी पालन नहीं करती है, वह पैन्लीकरण या लघु सूची के लिए पात्र नहीं होगी।

5.1 अनुभव

वायु सेना अड्डों, रक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), दूतावासों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़े निजी क्षेत्र की कंपनियों आदि में इसी प्रकार के कार्यों का न्यूनतम तीन (03) वर्ष का अनुभव (31 अगस्त 2026 तक) होना अनिवार्य है। आवेदकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दर्शाने वाली अपने ग्राहकों की सूची और दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

(a) एजेंसी एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए, अर्थात् अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्म, साझेदारी फर्म, सीमित देयता साझेदारी (LLP) फर्म, या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।

(b) एजेंसी को संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक सुप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित संगठन होना चाहिए।

(c) सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान की तारीख से तीन (3) महीने के भीतर गंगटोक में एक कार्यात्मक कार्यालय स्थापित करना होगा। ऐसे कार्यालय की स्थापना का दस्तावेज़ी प्रमाण निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक को जमा करना होगा। इस शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विवेकाधिकार में अनुबंध को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

5.2 प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य

अनुबंध की अनुमानित लागत निविदा अनुसूची के खंड – I, क्रम संख्या (a) के अनुसार होगी। एजेंसी को 31 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी प्रकार के कार्यों (अग्रिशमन सेवाएं प्रदान करना) को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है (कार्य आदेश की प्रतियां जमा करें):

(a) तीन इसी प्रकार के कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 40% हो।

या

(b) दो इसी प्रकार के कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 50% हो।

या

(c) एक इसी प्रकार का कार्य, जिसकी लागत अनुमानित लागत का कम से कम 80% हो।

संतोषजनक पूर्णता/प्रदर्शन के लिए ग्राहक रिपोर्ट को दस्तावेजी प्रमाण के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए (स्कैन की गई प्रति पीडीएफ प्रारूप में)। तदनुसार कार्य आदेश जमा करें (अनुबंध II के अनुसार)।

5.3 वार्षिक कारोबार

पिछले 3 वर्षों अर्थात् 31 मार्च 2026 तक, अग्रिशमन सेवा गतिविधियों से अनुबंध की अनुमानित लागत (निविदा अनुसूची के खंड – I, क्रम संख्या (a) का संदर्भ लें) के बराबर न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए।

5.4 पंजीकरण

एजेंसी को निम्नलिखित पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा करनी चाहिए:

(a) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र, साथ ही ज्ञापन और संघ के लेख।

(b) ईएसआई निगम से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।

(c) ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।

(d) ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)

(e) सेवा कर/जीएसटी पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।

5.5 शोधन प्रमाण पत्र

अपने बैंक से शोधन प्रमाण पत्र, विशेष रूप से इस कार्य के उद्देश्य के लिए, पिछले 3 वर्षों अर्थात् 31 अगस्त 2026 तक अग्रिशमन सेवा गतिविधियों से अनुबंध की अनुमानित लागत (निविदा अनुसूची के खंड – I, क्रम संख्या (क) का संदर्भ लें) के बराबर राशि के लिए।

5.6 बैंक खातों का विवरण और एनईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए उपक्रम उनके बैंक खातों का पूर्ण विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया, आईएफएससी कोड आदि दिया जाना चाहिए। निविदा

दाखिल करने वाली फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में चालू खाता होना चाहिए और उन्हें यह उपक्रम देना होगा कि वे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण (एनईएफटी) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

बी. निविदा दस्तावेज की सामग्री

6. निविदा दस्तावेज के खंड

6.1 निविदा दस्तावेज दो भागों में निहित है, जिसमें नीचे दर्शाए गए सभी खंड शामिल हैं और इसे बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किसी भी अनुच्छेद/खंड के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।

निविदा प्रक्रियाएँ

- **खंड-I :** निविदा अनुसूची
- **खंड-II :** ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
- **खंड-III :** बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश
- **खंड-IV :** मूल्यांकन / चयन मानदंड

अनुबंध की शर्तें और अनुबंध प्रपत्र

- **खंड-V :** कार्य का व्यापक दायरा, सामान्य नियम व शर्तें, अग्रिमन अधिकारी और अग्रिमन कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, तथा तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश।
- **अनुबंध I से VI तक**
- **भाग-II (वित्तीय बोली)**

7. निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण, पूर्व-बोली बैठक

7.1 जिसे इस दस्तावेज पर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, उसे इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-मेल पते पर लिखित रूप में बैंक से संपर्क करना चाहिए या पूर्व-बोली बैठक के दौरान अपने प्रश्न रखने चाहिए।

7.2 पूर्व-बोली बैठक का आयोजन निविदा अनुसूची के खंड – I, क्रम संख्यक (f) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, अमदो गोलाई, गंगटोक-737102 में किया जाएगा। बोलीदाता इस दस्तावेज में दिए गए संपर्क विवरण के अनुसार टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से भी मुद्दों को स्पष्ट कर सकते हैं।

8. निविदा दस्तावेज में संशोधन

8.1 निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) / ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है।

8.2 जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का अभिन्न अंग होगा।

8.3 संभावित निविदादाताओं को अपनी बोलियां तैयार करते समय किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, बैंक अपने विवेकाधिकार से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

सी. निविदाओं की तैयारी

9. निविदा प्रक्रिया की लागत

9.1 निविदादाता अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों का वहन करेगा, और निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना, बैंक उन लागतों के लिए उत्तरदायी या देनदार नहीं होगा।

10. निविदा में शामिल दस्तावेज

10.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) निविदा आमंत्रण सूचना

b) तकनीकी बोली विवरण

c) वित्तीय बोली विवरण

d) बयाना **जमा राशि (ईएमडी)**: इच्छुक निविदादाताओं को एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी (निविदा अनुसूची के खंड – I, क्रम संख्यक (e) का संदर्भ लें) जमा करना होगा। लाभार्थी का नाम- भारतीय रिजर्व बैंक, लाभार्थी खाता संख्या – 186003001।

e) **आईएफएससी कोड**: RBIS0GTPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) भारतीय रिजर्व बैंक गंगटोक के नाम पर। कृपया दिए गए प्रारूप में आवेदन करते समय यूटीआर (UTR) लेनदेन विवरण अवश्य दर्ज करें। ईएमडी के बिना प्रस्तुत बोलियां गैर-उत्तरदायी मानी जाएंगी और बैंक द्वारा संक्षेप में अस्वीकार कर दी जाएंगी।

f) सफल निविदादाताओं द्वारा अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा की जाएगी।

g) अनुबंध करार (सफल निविदादाताओं द्वारा अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद)।

10.2 भाग - I – तकनीकी बोली

a) सभी खंड और अनुबंध तकनीकी बोली का हिस्सा हैं। कृपया ध्यान दें कि भाग I (तकनीकी बोली) में कीमतें नहीं दर्शाई जानी चाहिए। तकनीकी बोली (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर जमा की जा सकती है।

b) पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड का दस्तावेजी प्रमाण ऑनलाइन (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ईएमडी तकनीकी बोली का हिस्सा होगा।

10.3 भाग - II – वित्तीय बोली

a) **बोली की मुद्रा**: बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जानी चाहिए। इन कीमतों में कार्य से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें जेब खर्च/जुटाव व्यय, औजार, श्रमिकों की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (जीएसटी सहित), शुल्क, उपकरण, सेस, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, श्रम, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई अंशदान आदि शामिल हैं, जैसा कि नियमों के अनुसार लागू हो।

b) कोई भी सशर्त/वैकल्पिक कोट स्वीकार नहीं की जाएगी।

11. निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी और लेनदेन शुल्क

11.1 निविदादाताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र होने के लिए केवल एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से ईएमडी (निविदा अनुसूची के खंड – I, क्रम संख्यक (f) का संदर्भ लें) और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय (non-refundable) है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

11.2 बिना ईएमडी वाली निविदाएं (यदि छूट प्राप्त नहीं है) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

11.3 लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

11.4 असफल निविदादाताओं की ईएमडी राशि को सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद आरबीआई द्वारा वापस/मुक्त कर दिया जाएगा।

11.5 सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि को निविदा शर्त के अनुसार प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद, बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे घटना के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

12. ईएमडी की जल्दी

12.1 निम्नलिखित परिस्थितियों में ईएमडी जल्द कर ली जाएगी:

a) यदि प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, विवरणों और संलग्नकों में भ्रामक या गलत बयानबाजी की गई हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई हो, या किसी न्यायालय में लंबित किसी कानूनी कार्यवाही का विवरण नहीं दिया गया हो जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर प्रभाव डाल सकता था; या

b) यदि निविदादाता ने भाग II / वित्तीय बोली का कॉलम रिक्त छोड़ दिया हो या एकाधिक वित्तीय बोलियां जमा की हों।

c) यदि निविदादाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले ले, या

d) यदि निविदादाता को किसी सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया हो और ब्लैकलिस्टिंग अभी भी प्रभावी हो। सफल निविदादाता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

13. निविदा पत्र

13.1 निविदादाता को डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी 3) का उपयोग करते हुए ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी संशोधन के निविदा जमा करनी होगी। सभी रिक्त स्थानों में अनुरोधित जानकारी भरी जानी चाहिए।

14. निविदादाता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज

14.1 खंड-IV के अनुसार अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने हेतु, निविदादाता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करनी होगी।

15. विभाग का दौरा

15.1 अग्रिम सेवाएं प्रदान करने वाले बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि वह कार्य प्रणाली से परिचित होने के लिए विभाग का दौरा करे। दौरे की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। यह माना जाएगा कि एजेंसी ने निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले विभाग का दौरा किया है और संचालन स्थितियों से अवगत है।

16. निविदाओं की वैधता अवधि

16.1 निविदा की वैधता अवधि तकनीकी बोली खोले जाने की तारीख से 90 दिन होगी।

16.2 अपवादपूर्ण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, बैंक निविदादाताओं से अपनी निविदाओं की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होने चाहिए।

डी. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और उद्घाटन

17. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और अंकन

17.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा जमा करने वाले निविदादाताओं को ई-निविदा संबंधी निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुति प्रक्रिया का पालन करना होगा।

17.2 निविदादाता अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, साथ ही "तकनीकी बोली" (भाग-I) में दर्शाए गए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर सकते हैं। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तारीख तक जमा की जानी चाहिए। अधूरी निविदाओं को संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17.3 निविदादाताओं को लागत विश्लेषण में दर्शाए अनुसार सभी घटकों को शामिल करते हुए दरें उद्धृत करनी होंगी।

17.4 यदि वांछित/निर्धारित जानकारी जमा नहीं की जाती है, तो निविदा के अस्वीकार होने के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

18. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि

18.1 निविदाएं इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, और यह इस दस्तावेज में दर्शाई गई तारीख और समय से बाद में नहीं होनी चाहिए।

18.2 बैंक अपने विवेकाधिकार से निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

19. प्रति बोलीदाता एक बोली

19.1 प्रत्येक बोलीदाता केवल एक निविदा जमा करेगा, चाहे वह स्वयं द्वारा, संयुक्त उद्यम में साझेदार के रूप में, या संघ के सदस्य के रूप में हो। यदि कोई बोलीदाता या संयुक्त उद्यम का कोई साझेदार या संघ का कोई सदस्य एक से अधिक बोलियों में भाग लेता है, तो उन बोलियों को अस्वीकार किए जाने का जोखिम होगा।

20. विलंबित निविदाएं

20.1 अंतिम तिथि के बाद पोर्टल पर कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

21. निविदा उद्घाटन

21.1 बैंक सूचित तारीख को निविदा (भाग-I) का इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन करेगा। भाग-II का उद्घाटन केवल उन बोलीदाताओं के लिए किया जाएगा जो भाग-I में उत्तीर्ण होते हैं। भाग-II के उद्घाटन की तारीख सफल बोलीदाताओं को उनके वैध ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से सूचित की जाएगी।

ई. निविदाओं की जांच

22. गोपनीयता

22.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी को तब तक निविदादाताओं या ऐसी प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जाएगा, जब तक सभी निविदादाताओं को अनुबंध प्रदान करने की जानकारी संप्रेषित नहीं कर दी जाती।

23. निविदाओं का स्पष्टीकरण

23.1 निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदादाताओं की योग्यता निर्धारण में सहायता के लिए, बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी निविदादाता से अपनी निविदा का स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसके लिए उत्तर देने का उचित समय दिया जाएगा। बैंक के अनुरोध के उत्तर में नहीं दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण विचाराधीन नहीं होगा। बैंक का स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध और उसका उत्तर लिखित रूप में होना चाहिए। निविदा की कीमतों या सार में कोई परिवर्तन न तो मांगा जाएगा, न ही प्रस्तावित या अनुमति दी जाएगी, सिवाय इसके कि बैंक द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन में पाए गए अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि की जाए।

23.2 यदि कोई निविदादाता बैंक के स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध में निर्धारित तारीख और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

एफ. निविदा मूल्यांकन और तुलना

24. निविदाओं का मूल्यांकन

24.1 बैंक खंड IV में दर्शाए गए मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग करेगा।

25. निविदादाता की योग्यता

25.1 बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि चयनित निविदादाता खंड IV के अनुसार अर्हता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।

26. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

26.1 बैंक को अनुबंध प्रदान करने से पूर्व किसी भी समय बिना किसी कारण बताए और बिना निविदादाताओं के प्रति कोई देनदारियां उत्पन्न किए, किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने तथा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, सशर्त बोलियों को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

जी. अनुबंध का प्रदान करना

27. प्रदान करने के लिए मानदंड

27.1 बैंक खंड IV (मूल्यांकन मानदंड) में वर्णित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर निविदादाता की लघु सूची तैयार करेगा।

28. प्रदान करने की सूचना

28.1 वह निविदादाता जिसका तकनीकी मूल्यांकन (जिसमें साइट विजिट मूल्यांकन भी शामिल है) सफल होता है और जो वित्तीय बोली में एल1 (सबसे कम दर) होता है, उसे निविदा प्रदान की जाएगी।

28.2 जब तक एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक कार्य सौंपी जाने की सूचना एक बाध्यकारी अनुबंध मानी जाएगी। सफल निविदादाता को कार्य के कार्य सौंपने की सूचना के 7 दिनों के भीतर पूरे कार्य का भार संभालने के लिए तैयार रहना होगा।

29. अनुबंध पर हस्ताक्षर

29.1 सफल निविदादाता को कार्य प्रदान होने के 15 दिनों के भीतर लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक समझौता निष्पादित करना होगा। स्टाम्प शुल्क एजेंसी द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य प्रदान करने की सूचना जारी करना एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, जैसा कि ऐसा समझौता निष्पादित हो चुका हो और इस अनुबंध पर सभी नियम व शर्तें लागू होंगी।

30. कार्य निष्पाद प्रतिभूति

30.1 सफल निविदादाता को अनुबंध के साथ कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (अनुबंध मूल्य का 10%) जमा करनी होगी। पीबीजी (PBG) अनुबंध अवधि के समाप्त होने के तीन महीने बाद तक वैध होगी।

30.2 सफल निविदादाता द्वारा कार्य निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफलता, कार्य सौंपने को रद्द करने, ईएमडी जप्त करने और ऐसे निविदादाता को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पर्याप्त आधार होगी।

खंड – IV

मूल्यांकन / चयन मानदंड मू

मूल्यांकन मैट्रिक्स

1. सर्वप्रथम, भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदादातों को तकनीकी मूल्यांकन हेतु मानक प्रारूप (तकनीकी बोली प्रपत्र - 2) के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
2. तकनीकी मूल्यांकन के लिए विभिन्न मदों हेतु दर्शाए गए समर्थक दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए।
3. बैंक द्वारा निविदादाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की पात्रता मानदंडों के सापेक्ष जांच की जाएगी तथा बैंकरो, वर्तमान ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और साइट विजिट (स्थल निरीक्षण) के निष्कर्षों का मूल्यांकन करके तकनीकी मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पात्र माने जाने हेतु बोलिदाताओं को तकनीकी बोल में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. सभी तकनीकी रूप से आहर्ता प्राप्त फर्मों/एजेंसियों/बोलिदाताओं की वित्तीय बोलियों को वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोला जाएगा। कार्य सबसे कम दर (एल-1) देने वाली एजेंसी को प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि दो या अधिक बोलिदाताओं द्वारा बोली गई न्यूनतम राशि समान है (एक से अधिक बोलिदाताओं द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत की गई है), तो ऐसे न्यूनतम बोलिदाताओं को कुल 100 अंकों में से निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे:

क्र. सं.	मूल्यांकन मापदंड	अंक
1.	अग्रिशमन सेवा व्यवसाय में वर्षों की संख्या	अधिकतम 20 अंक
	(क) 3 वर्ष तक	10 अंक
	(ख) 3 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	15 अंक
	(ग) 10 वर्ष से अधिक	20 अंक
2.	एजेंसी के वर्तमान पेड-रोल पर अग्रिशमन अधिकारी/अग्रिकर्मियों के रूप में नियुक्त प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	अधिकतम 10 अंक
	(क) 100 तक	05 अंक
	(ख) 100 से अधिक	10 अंक
3.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अर्थात, वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26) के लिए औसत कारोबार (टर्नओवर)	अधिकतम 20 अंक
	(क) 02 करोड़ रुपये तक	10 अंक
	(ख) 02 करोड़ रुपये से अधिक और 05 करोड़ रुपये तक	15 अंक
	(ग) 05 करोड़ रुपये से अधिक	20 अंक
4.	वर्तमान में पैनलबद्ध/सेवाएं प्रदान की गईं	अधिकतम 10 अंक
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय या किसी केंद्रीय सरकारी संगठन के साथ	10 अंक
	(ख) राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/कंपनियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)/अन्य	05 अंक

5.	अग्रिशमन अधिकारी/अग्रिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना	अधिकतम 10 अंक
	(क) अपना सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	10 अंक
	(ख) अन्य संस्थान/प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के साथ समझौता ज्ञापन (MoU)	05 अंक
6.	गुणवत्ता संबंधी अंक	अधिकतम 10 अंक
	(क) आईएसओ (ISO) प्रमाणन (5 वर्ष से कम)	05 अंक
	(ख) आईएसओ (ISO) प्रमाणन (5 वर्ष से अधिक)	10 अंक
7.	आपदा प्रबंधन अभ्यास (ड्रिल) का रिकॉर्ड	अधिकतम 10 अंक
	पिछले 3 वर्षों में इसी प्रकार के संस्थानों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का साक्ष्य	10 अंक
8.	श्रम कल्याण और प्रतिधारण नीति	अधिकतम 10 अंक
	श्रम कानून (CLC) का अनुपालन, बीमा और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, और पिछले 3 वर्षों में कर्मचारी प्रतिधारण दरें	10 अंक



भाग I

भारतीय रिजर्व बैंक शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष (एचआरएमडी), गंगटोक
(नियम व शर्तें और तकनीकी विनिर्देश)

ई-निविदा

गंगटोक स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित
अग्निशमन कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

खंड – वी

कार्य का व्यापक दायरा

1. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी छह (06) अग्निशमन कर्मियों की व्यवस्था करेगी; अर्थात्, एक अग्निशमन अधिकारी (अग्नि सुरक्षा में डिप्लोमा धारक, जिसे अग्नि सुरक्षा/अग्निशमन का तीन वर्ष का अनुभव हो, और जो पूर्व सेवा में संलिप्त हो, ऐसे व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी) और दो अग्निकर्मी (अग्नि सुरक्षा में प्रमाणित, जिन्हें अग्नि सुरक्षा/अग्निशमन का एक वर्ष का अनुभव हो), जो प्रतिदिन तीन (3) पारियों में कार्य करेंगे, साथ ही एक रिलीवर (स्थानापन्न) की व्यवस्था की जाएगी। अग्निशमन अधिकारी सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक कार्य करेगा। कार्य के आवंटन से पूर्व या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय कर्मियों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। सफल बोलीदाता अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और अन्य व्यापक सुरक्षा सेवाओं में निपुण प्रशिक्षित मानव संसाधन की तैनाती करने के लिए बाध्य होगा। ऐसे कर्मियों को बैंक की बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के दायरे में बैंक द्वारा सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए पूर्णतः तैयार रहना होगा।
2. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अग्निकर्मियों को आठ घंटे की पारी में तैनात करेगी, जो तीन पारियों (प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे, दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे, और रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे) में चौबीसों घंटे कार्य करेंगे, और अग्निशमन अधिकारी सामान्य पारी (प्रातः 09:30 बजे से सायं 05:30 बजे) में कार्य करेगा। इनका कार्य अग्निशमन, अग्नि सुरक्षा, अग्नि कंट्रोल रूम की देखरेख, अग्नि अलार्म, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट, गीले/सूखे राइजर सिस्टम जैसी अग्नि सुरक्षा उपकरणों को संभालना और बनाए रखना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कर्मचारियों/आगंतुकों की सहायता करना, सामान्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और स्थानीय अग्निशमन दल के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। वर्ष के प्रत्येक माह को 30 दिनों का माना जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह के लिए 26 दिन ड्यूटी के दिन और 4 दिन सवेतन अवकाश होंगे।
3. सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने के लिए, सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी (भर्ती के समय अग्निकर्मियों की आयु 21-40 वर्ष और अग्निशमन अधिकारी की आयु 30-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए)। सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित हों और अपने कर्तव्य के निर्वहन में सतर्क रहें। सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा नियोजित किए गए व्यक्ति उच्च सत्यनिष्ठा और सदाचार वाले उचित रूप से प्रशिक्षित अग्निकर्मी होने चाहिए और उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
4. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी गंगटोक स्थित आरबीआई के कार्यालय परिसर में एक अग्निशमन अधिकारी को सामान्य पारी (प्रातः 09:30 बजे से सायं 05:30 बजे) और दो (02) अग्निकर्मियों को आठ घंटे की पारी में तीन पारियों में चौबीसों घंटे कार्य करने के लिए तैनात करेगी। एक अग्निशमन अधिकारी (जिसके पास पर्याप्त अनुभव हो, preferably अग्निशमन विभाग में पूर्व सेवा में संलिप्त हो) सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक कार्य करेगा।
5. एजेंसी द्वारा तैनात किए गए अग्निकर्मी के पास अग्नि सुरक्षा में प्रमाणन के साथ न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तैनात किए गए कर्मियों की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
6. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी तैनात किए गए कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में रिलीवर्स/अवकाश रिजर्व की व्यवस्था करेगी, जिनके पास अग्निशमन में पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए।
7. एजेंसी द्वारा तैनात किए गए अग्निशमन कर्मियों को तैनाती के छह महीने के भीतर बैंक से रोटेशन/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि आरबीआई की अपेक्षाओं के अनुसार अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी न हो या वे निविदादाता की नियुक्ति में न रहें।

8. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि एजेंसी द्वारा तैनात किए गए अग्निशमन कर्मियों (अग्निकर्मियों) के समग्र प्रबंधन और पर्यवेक्षण तथा अग्निशमन प्रणाली की देखरेख और रखरखाव के लिए एक अनुभवी अग्निशमन अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।
9. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के कार्यालय परिसर में चौबीसों घंटे दो अग्निकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहें, बशर्ते कि अग्नि कर्मी 8 घंटे से अधिक लगातार ड्यूटी पर न हों और प्रत्येक पारी में नया मानव संसाधन प्रदान किया जाए। एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी अग्नि कर्मी की अनुपस्थिति की स्थिति में, पारी शुरू होने के आधे घंटे के भीतर समान रूप से प्रशिक्षित और योग्य अग्निशमन कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।
10. अग्नि कर्मी अपनी पारी की ड्यूटी शुरू करने से पूर्व, ड्यूटी पर मौजूद वर्तमान अग्नि कर्मियों को रिलीव करने से पूर्व, नियमित अंतराल पर और अपनी पारी की ड्यूटी समाप्त करने से पहले यह जांचने के लिए बैंक के परिसर का दौरा करेंगे कि अग्निशमन व्यवस्थाएं स्थान पर हैं या नहीं और वे ठीक से कार्य कर रही हैं या नहीं। पारी बदलने पर उचित हैंडओवर/टेकओवर किया जाएगा और अग्निशमन उपकरणों की सेवायोग्यता का रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा, जिसे दैनिक आधार पर सुरक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
11. बीमारी/अन्य कारणों से मानव संसाधन में किसी भी कमी की पूर्ति सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तदर्थ (ad-hoc) आधार पर की जाएगी।
12. अग्नि नियंत्रण कक्ष में चौबीसों घंटे कर्मियों की तैनाती। कर्मियों को अग्निशमन पर आवधिक प्रशिक्षण देना। निर्धारित आवधिकता के अनुसार सभी अग्नि उपकरणों की सेवायोग्यता की जांच करना। उक्त परिसर के संबंध में अग्नि अलार्म सिस्टम, वेट राइजर सिस्टम, अग्नि हाइड्रेंट और अग्निशामक यंत्रों तथा अन्य अग्नि संबंधी उपकरणों सहित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होना।
13. अग्नि कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि हाइड्रेंट प्रणाली का रिजर्व वॉटर टैंक हर समय भरा रहे। सभी अग्निशमन उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) के तहत किए गए कार्य की देखरेख करें।
14. आग लगने की प्रारंभिक अवस्था में उससे लड़ना और अग्निशमन दल के आने पर उनकी सहायता करना। आग लगने की स्थिति में कर्मचारियों की सहायता करना और आग बुझाने तथा परिसर/इमारत के occupants (निवासियों/कर्मचारियों) को निकालने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करना।
15. अग्नि कर्मी कार्य और प्रशासन के सभी पहलुओं में बैंक के सुरक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे।
16. अग्नि कर्मी नियमित अग्निशमन अभ्यास (ड्रिल) आयोजित करेंगे और बैंक की आपदा निकासी मॉक ड्रिल के दौरान सहायता करेंगे, जिसमें निकासी कुर्सियों (evacuation chairs) का उपयोग करके दिव्यांग कर्मचारियों की निकासी भी शामिल होगी।
17. अग्नि कर्मी अग्नि खतरों की पहचान करने और अग्नि तथा भवन संहिता उल्लंघनों के विरुद्ध सुरक्षात्मक कदम उठाने/हटाने के लिए पूरे परिसर का नियमित गश्त करेंगे। सभी निकास मार्गों और अग्नि लेन की दैनिक जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बाधाओं से मुक्त हों।
18. किसी दुर्घटना की स्थिति में खोज, बचाव और मलबे से सामान बचाने (salvage) के कार्यों में सहायता करना।
19. अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों के नवीनतम ज्ञान को अद्यतन रखना और अग्नि सेवाओं में हो रहे वर्तमान विकासों से अवगत रहना।
20. स्थानीय अग्निशमन दल के प्रतिष्ठानों के साथ प्रभावी और निकट समन्वय स्थापित करना और जब भी अग्नि ऑडिट किया जाए, उसमें सहायता करना।
21. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के अग्नि कर्मियों को दैनिक कार्य के लिए बैंक के सुरक्षा अधिकारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने होंगे।
22. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के अग्नि कर्मियों को बैंक के सुरक्षा प्रबंधक द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) और अग्नि आदेशों के अनुसार कर्तव्य निभाने होंगे।
23. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के परिसर में तैनात अग्नि कर्मी सुरक्षा प्रबंधक या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें, जब भी वे दिए जाएं।
24. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के अग्नि कर्मियों द्वारा इस कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी वर्दी (अधिमानतः नारंगी रंग की डंगरी) प्रदान की जाएगी। वर्दी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) पूरी बांह वाली डंगरी जिस पर "अग्निशमन कर्मी" (Firefighting Staff) अंकित हो और ठेकेदार का लोगो हो;
- (ii) अग्नि-रोधी सुरक्षा जूते;
- (iii) मोजे, अग्नि-रोधी दस्ताने;
- (iv) सर्दियों के लिए जर्सी/स्वेटर/जैकेट जिस पर "अग्निशमन कर्मी" अंकित हो और ठेकेदार का लोगो हो; और
- (v) वर्षा ऋतु के लिए रेनकोट/छाता।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, गंगटोक की कोई भी देनदारी नहीं होगी। वर्दी को बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

****अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व****

निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को अपने दरों का उद्धरण देने से पूर्व कार्य की मात्रा का आकलन करने हेतु स्थल का निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है। उपर्युक्त उल्लिखित कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी शामिल होंगे:

कार्यात्मक आवश्यकताएँ

1. घटनाओं की प्रारंभिक प्रतिक्रिया (INITIAL RESPONSE TO INCIDENTS):** अलार्म प्राप्त होने और प्रारंभिक अग्निशमन या आपातकालीन स्थल गतिविधियों के बीच होने वाले कार्य।

(क) प्राप्त अलार्म जानकारी (जैसे, अलार्म का प्रकार, संरचना का प्रकार, आदि) के आधार पर घटना का प्राथमिक मूल्यांकन करना।

(ख) सेवा के लिए कॉल प्राप्त होने पर निर्धारित आपातकालीन वाहन (एपरेट्स) की ओर प्रस्थान करना।

(ग) आपातकालीन स्थलों पर जाने से पूर्व और वहां पहुंचने पर व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE) धारण करना।

2. वॉच ड्यूटी (WATCH DUTIES):** आने वाले अलार्म और सूचना प्राप्त करने, फोन का उत्तर देने और पहुंच की निगरानी करने हेतु वॉच पर तैनात रहना।

(क) अलार्म, एकाधिक अलार्म, ईएमएस (EMS) अलार्म और अन्य महत्वपूर्ण आपातकालीन स्थितियों की सूचना प्राप्त करना।

(ख) यदि आवश्यक हो, तो स्टेशन कर्मचारियों को (पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से या संकेतों का उपयोग करके) आने वाले अलार्म और आवश्यक प्रतिक्रिया (जैसे, सभी जाएं, केवल ट्रक, केवल इंजन, आदि) के बारे में सूचित करना।

(ग) यदि आवश्यक हो, तो विभाग और बाहरी फोन का उत्तर देना।

****3. स्थल पर संचार (ON SCENE COMMUNICATION):**** आपातकालीन स्थल पर एपरेट्स और कर्मचारियों के उचित समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु संचार स्थापित करना।

(क) आपातकालीन स्थल पर पहुंचने पर कमांडिंग ऑफिसर से जानकारी (जैसे, कर्मचारियों और एपरेट्स के आवंटन के संबंध में) प्राप्त करना।

(ख) आपातकालीन स्थल पर अन्य अग्निशमन कर्मियों के साथ स्थितियों, स्थल के आकलन (size up) आदि के बारे में संचार करना।

(ग) आपातकालीन स्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को प्रेषित करना।

****4. पंप संचालन (PUMP OPERATIONS):**** युग्मक (couplings), होज़, स्पेनर रिंच और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हुए आपातकालीन वाहन को फायर हाइड्रेंट से जोड़ना या हुक करना और उचित दबाव व आयतन में पानी की आपूर्ति हेतु पंपों का संचालन करना।

(क) हाइड्रेंट के कार्यात्मक होने को सुनिश्चित करने के लिए उसे खोलना और फ्लश करना।

(ख) हाइड्रेंट के दबाव द्वारा होज़ में पानी भरना।

(ग) पंपों को संलग्न (engage) करना।

(घ) नियंत्रण पैनल की निगरानी करना (जैसे, पानी का तापमान, तेल दबाव गेज, ईंधन गेज, हाइड्रेंट दबाव)।

(ङ) आपूर्ति से लेकर एपरेटस तक आपूर्ति लाइन को जोड़ना और बिछाना।

(च) पंपिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के बारे में अधिकारी को सूचित करना।

(छ) अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर पंप को बंद करना।

5. दस्तावेज़ीकरण (DOCUMENTATION) अग्निशमन कर्मियों को अग्निशमन अधिकारी के पर्यवेक्षण में मूलभूत दस्तावेज़ों का रखरखाव कैसे किया जाए, इसका ज्ञान होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अग्निशमन कर्मियों को अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज़ों/उपकरणों को एक व्यक्ति/स्थान से दूसरे तक ले जाने के लिए तत्परता से 'रनर' (संदेशवाहक) के रूप में कार्य करना चाहिए। अग्निशमन कर्मियों को बोलचाल की अंग्रेजी और हिंदी भाषा में निपुण होना चाहिए।

6. होज़ (और अग्निशामक) संचालन (HOSE AND EXTINGUISHER OPERATIONS): आपातकालीन स्थल पर पानी, फोम और अन्य अग्निशामक एजेंटों की आपूर्ति के लिए होज़ लाइन बिछाना या अग्निशामक का उपयोग करना।

(क) संचालन के लिए आवश्यक होज़ के प्रकार (आकार) और लंबाई की संख्या का निर्धारण करना।

(ख) होज़ बेड से होज़ को बाहर खींचना।

(ग) उचित नोजल और नोजल सेटिंग का निर्धारण करना।

(घ) होज़ लाइनों को नोजल से जोड़ना।

(ङ) आवश्यकता पड़ने पर/उचित होने पर स्टैंडपाइप से जोड़ना।

(च) उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार्जिंग से पहले या अग्निशमन के दौरान होज़ लाइन को व्यवस्थित रूप से बिछाना (Flakes out)।

(छ) धुएं, ध्वनि, लपटों, गैस, वाष्प आदि का अवलोकन, सूंघने या सुनकर आग या अन्य खतरों (जैसे गैस लीक) के मूल स्थान का पता लगाना।

(ज) घटना को बुझाने, सीमित करने और/या नियंत्रित करने के लिए अग्निशामक का उपयोग करना।

7. मैनुअल सीढ़ी संचालन (MANUAL LADDER OPERATIONS): खोज, बचाव और अन्य कार्यों को करने के लिए मैनुअल सीढ़ियों को ले जाना, खड़ा करना, लंबा करना और उन पर चढ़ना। (क) घटना स्थल पर आवश्यक मैनुअल सीढ़ी के प्रकार और आकार का निर्धारण करना। (ख) स्थल पर मैनुअल सीढ़ी के उचित स्थान का निर्धारण करना। (ग) घटना स्थल पर मैनुअल सीढ़ी को खड़ा करना और स्थित करना। (घ) स्थल पर मैनुअल सीढ़ी को लंगरना और सुरक्षित करना (अर्थात् बांधना/टाई ऑफ करना)। (ङ) खोज, बचाव और अन्य कार्यों को करने के लिए मैनुअल सीढ़ी पर चढ़ना।

8. शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/ग्राहकों को सहायता (ASSISTANCE TO PHYSICALLY HANDICAPPED EMPLOYEES/CUSTOMERS) यदि आवश्यक हो, तो ड्यूटी पर तैनात अग्निशमन कर्मियों को, जब वह किसी आपातकालीन स्थिति में संलग्न न हो, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/ग्राहकों की सहायता और मदद करनी चाहिए।

9. बलपूर्वक प्रवेश (यदि आवश्यक हो) (FORCIBLE ENTRY): कुल्हाड़ियों, हेलिगन टूल्स, हुक, रैबिट टूल्स, बैटरिंग रैम्स, स्लेज हथौड़े, पावर सॉ और अन्य उपकरणों का उपयोग करके पीड़ितों की खोज और बचाव करने तथा आपातकालीन स्थल तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से दरवाजों को तोड़ना, काटना या गिराना, या इसी प्रकार संरचनाओं, वाहनों, विमानों और अन्य फंसी हुई स्थितियों में प्रवेश करना।

(क) बलपूर्वक प्रवेश के लिए सर्वोत्तम स्थान का निर्धारण करना।

(ख) यदि आवश्यक हो, तो पावर सॉ और अन्य पावर टूल्स का उपयोग करके सतहों को काटना।

(ग) कुल्हाड़ियों, स्लेज हथौड़े, बैटरिंग रैम्स, हेलिगन टूल्स और अन्य बलपूर्वक प्रवेश उपकरणों का उपयोग करके संरचनाओं में प्रवेश प्राप्त करना।

(घ) संरचनाओं में दरवाजों को प्राई बार, हेलिगन टूल्स, बोल्ट कटर और अन्य उपकरणों का उपयोग करके खोलना।

(ङ) स्लेजहथौड़े, बैटरिंग रैम्स, कुल्हाड़ियों या अन्य बलपूर्वक प्रवेश उपकरणों का उपयोग करके दरवाजों से ताले या कब्जे हटाना।

10. वेंटिलेशन (VENTILATION): संरचनाओं या फंसी हुई स्थितियों से ऊष्मा, धुएं और/या गैस को निकालने के लिए खिड़कियों को खोलना या तोड़ना, छतों में छेद काटना या चीरना, दीवारों या दरवाजों में दरारें डालना, और खिड़की से फॉग स्टीम (fog stream) को बाहर की ओर निर्देशित करना या खिड़कियों या दरवाजों में पंखे लटकाना। (क) खतरे और अग्निशमन कर्मियों के स्थान, छत के प्रकार और भवन निर्माण के आधार पर संरचना के वेंटिलेशन हेतु सर्वोत्तम स्थान का निर्धारण करना।

(ख) संरचना के वेंटिलेशन हेतु खिड़कियों और अन्य प्रवेश बिंदुओं को मैनुअल रूप से खोलना या प्राई बार, हेलिगन टूल्स और अन्य उपकरणों का उपयोग करके खोलना।

(ग) संरचना के वेंटिलेशन हेतु कुल्हाड़ियों, सीढ़ियों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके खिड़कियों और अन्य प्रवेश बिंदुओं को तोड़ना।

(घ) संरचना के वेंटिलेशन हेतु दीवारों, छत और अन्य संरचनाओं को काटकर खोलना।

(ङ) सकारात्मक और नकारात्मक दबाव (positive and negative pressure) के लिए पंखों का उपयोग करना।

11. खोज (SEARCH): मानक खोज प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पीड़ितों का पता लगाने और घटना के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित क्षेत्र की खोज करना।

(क) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक खोज प्रक्रिया या रणनीति का निर्धारण करना।

(ख) आग के मूल स्थान, या अन्य खतरों, और उनके विस्तार के लिए संरचनाओं की खोज करना।

(ग) आग या अन्य खतरे वाले फर्श या क्षेत्र में होश में और बेहोश पीड़ितों की खोज करना, और बांहों, पैरों या उपकरणों का उपयोग करके निर्धारित खोज क्षेत्र को झाड़ना (sweeping)।

(घ) कर्मियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक टीम/कंपनी के रूप में एक साथ कार्य करना।

12. बचाव (RESCUE): आंतरिक पहुंच (सीढ़ियां, गलियारे, आदि) के माध्यम से या, यदि आवश्यक हो, तो सीढ़ियों, फायर एस्केप, या बचाव हार्नेस, रस्सियों, बैकबोर्ड और अन्य उपकरणों का उपयोग करके आपातकालीन क्षेत्र से पीड़ितों की सहायता करना, उन्हें ऊपर खींचना, ले जाना या घसीटना। वाहनों, विमानों, भू-धंसाव, ढहे हुए भवनों या अन्य फंसी हुई स्थितियों से पीड़ितों को मुक्त कराना ताकि फावड़ों, टॉर्च, ड्रिल, प्राई बार, आरी, जैक, जबड़े (jaws), एयर बैग और अन्य उपकरणों का उपयोग करके जीवन बचाया जा सके।

(क) आग, विस्फोट, खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने के जोखिम के कारण घटना स्थल से व्यक्तियों का निकासी (evacuation) कराना।

(ख) रस्सियों, गांठों और बचाव हार्नेस का उपयोग करके पीड़ितों या अग्निशमन कर्मियों को ऊपर खींचना या नीचे उतारना।

(ग) पीड़ितों को आपातकालीन स्थलों से घसीटना या ले जाना।

(घ) पीड़ितों को स्ट्रेचर, बैकबोर्ड, टोकरियों आदि पर रखना।

(ङ) फावड़ों, कुदाल, स्पेड और अन्य उपकरणों का उपयोग करके सुरंगों, पाइपों, खुदाई, भू-धंसाव या अन्य फंसी हुई स्थितियों में फंसे पीड़ितों को मुक्त करने के लिए खुदाई करना।

(च) स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार जल बचाव (अर्थात्, नदी बचाव, नावों का उपयोग करना) करना।

(छ) यदि आवश्यक हो, तो जीवन रक्षक तकनीकों का उपयोग करके डूबते हुए पीड़ितों का बचाव करना।

13. संपत्ति संरक्षण (SALVAGE): प्लास्टिक और कैनवास कवर, रस्सियों, स्टेपल गन, पोछे, स्क्रीजी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके क्षति को कम करने के उद्देश्य से फर्नीचर, उपकरणों, माल और अन्य संपत्ति को हिलाना और ढकना; संरचनाओं में छेदों को ढकना; क्षतिग्रस्त संरचनात्मक घटकों को स्थिर करना; और पानी को मोड़ना या साफ करना।

(क) संपत्ति पर सैल्वेज कवर (salvage covers) फैलाना।

(ख) पानी या अन्य क्षति से बचाने के लिए फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को हिलाना।

(ग) हुक, कुल्हाड़ियों, आरी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके कमजोर और खतरनाक संरचनात्मक घटकों (जैसे फर्श, दीवारें, छतें, ओवरहैंग और सीढ़ियां) को गिराना।

14. ओवरहॉल (OVERHAUL): छिपी हुई आग की चिंगारी की जांच करने के लिए जो फिर से भड़क सकती है या फैल सकती है, हुक, कुल्हाड़ियों, आरी और पिटफोर्क का उपयोग करके दीवारों और छतों को खोलना, फर्श को काटना या उखाड़ना और मलबे को हिलाना या पलटना।

(क) आग के विस्तार के लिए खुले क्षेत्रों, दीवारों, खुली संरचनाओं की जांच और खोज करना।

(ख) आग और धुएं को देखकर, महसूस करके या सूंघकर किसी भी छिपी हुई आग की खोज करना और उसे बुझाना।
(ग) हॉट स्पॉट और अन्य खतरनाक स्थितियों को उजागर करने के लिए कुल्हाड़ियों, पाइक पोल/सीलिंग हुक आदि का उपयोग करके छत, दीवारों आदि को खोलना। (घ) भवनों से जले हुए या सुलग रहे मलबे को हटाना और बुझाना।

15. सफाई/समापन (CLEAN UP/PICK UP): उपकरणों को उठाना, साफ करना और वाहन में वापस रखना तथा होज को लपेटना या मोड़ना, ताकि कंपनी सेवा के लिए वापस जा सके।

(क) संरचनाओं से लाइनों को वापस खींचना।

(ख) उपयोग के बाद होस को लपेटना और पकड़ना तथा उन्हें उपयुक्त वाहन में वापस रखना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि घटना की प्रतिक्रिया के दौरान उपयोग की गई सभी होस मौजूद हैं और उनका हिसाब है।

(घ) सभी उपकरणों, सामान, आपूर्ति और संपत्ति को प्रयोज्य स्थिति में साफ करना और उपयुक्त वाहनों में वापस रखना।

(ङ) आपातकालीन वाहन (एपरेट्स) की सफाई करना।

16. आपातकालीन चिकित्सा देखभाल (EMERGENCY MEDICAL CARE): चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों और/या चिकित्सा सहायता का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों के लिए संपूर्ण रोगी मूल्यांकन करना और उचित चिकित्सा देखभाल के साथ हस्तक्षेप करना।

(क) चिकित्सीय स्थिति और/या चोट के अनुसार रोगी का आकलन करना और प्राथमिकता निर्धारित करना।

(ख) जहां उचित हो, ऑक्सीजन सहायक उपकरणों का उपयोग करके ऑक्सीजन थेरेपी या सहायक वेंटिलेशन के साथ हस्तक्षेप करना।

(ग) जीवन के लिए खतरनाक रक्तस्राव की पहचान करना और उचित रूप से हस्तक्षेप करना।

(घ) नाड़ीहीन और श्वासहीन (apnoeic) रोगी की पहचान करना और कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन (CPR) प्रदान करना।

(ङ) मौखिक और दर्दनाक उत्तेजनाओं के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया के आधार पर रोगी की प्रतिक्रियाशीलता (जागृत, सतर्क और अभिविन्यस्त बनाम अनुत्तरदायी) का मूल्यांकन करना।

(च) यह निर्धारित करना कि रोगियों को आपातकालीन या गैर-आपातकालीन परिवहन की आवश्यकता है या नहीं।

(छ) रोगी के कल्याण को भावनात्मक और शारीरिक दोनों रूप से बनाए रखने के लिए कार्य करना।

(ज) घड़ी, स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों (vital signs) का आकलन करना।

17. उपकरण रखरखाव (EQUIPMENT MAINTENANCE): उचित और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत गियर और उपकरणों, जिनमें अग्निशमन हाइड्रेंट सिस्टम और अग्निशामक शामिल हैं, की जांच, सफाई और रखरखाव करना।

(क) अग्निशामकों का दृश्य निरीक्षण।

(ख) टर्नआउट गियर को एपरेट्स पर या उसके पास रखना।

(ग) अग्निशामकों की जांच और तौल करना।

(घ) चिकित्सा उपकरणों की जांच करना।

(ङ) जनरेटर, ब्लोअर, लाइट, कॉर्ड और पंखों की स्थिति की जांच करना।

(च) एपरेटस पर होस की जांच करना (उचित बिछाव और मात्रा)।

(छ) पावर उपकरणों की जांच और रखरखाव करना।

(ज) अन्य पोर्टेबल उपकरणों पर सामान्य रखरखाव की जांच और कार्यवाही करना (जैसे, तेल के स्तर की जांच, ग्रीस लगाना, आदि)।

(झ) एक एपरेटस से दूसरे एपरेटस में उपकरण और आपूर्ति को बदलना/स्थानांतरित करना।

18. एपरेटस रखरखाव (APPARATUS MAINTENANCE): उचित और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए एपरेटस की जांच, सफाई और रखरखाव करना।

(क) सामान्य दैनिक एपरेटस जांच करना (जैसे, तेल, ईंधन और पानी के स्तर; उचित दबाव और स्नेहन; बैटरी; लाइट; सायरन; ब्रेक; टायर; आदि)।

(ख) सामान्य साप्ताहिक एपरेटस जांच करना (जैसे, हाइड्रोलिक द्रव के स्तर)।

(ग) इंजन द्वारा पानी पंप करने की क्षमता की जांच करना।

(घ) इंजन पंपर दबाव की जांच करना।

(ङ) एपरेटस पर विद्युत या यांत्रिक समस्याओं के बारे में अधिकारी को सूचित करना।

(च) एपरेटस पर आवश्यक मरम्मत के बारे में अधिकारी को सूचित करना।

(छ) यह सूचित करना कि यांत्रिक समस्या के कारण एपरेटस को सेवा से बाहर रखा जाना चाहिए।

(ज) सभी अग्निशामकों को बाहर से साफ करना और प्रेशर गेज से दबाव की जांच करना; दबाव में गिरावट की स्थिति में अधिकारी को सूचित करना।

19. स्टेशन रखरखाव और कर्तव्य (STATION MAINTENANCE AND DUTIES): हाउस सुविधाओं की जांच, सफाई और रखरखाव करना। इसमें नियमित हाउसकीपिंग कार्यों का निष्पादन शामिल है।

(क) एपरेटस बे और कमरों की सफाई करना।

(ख) अग्निशमन स्टेशन के आंगन की सफाई और रखरखाव करना।

(निम्नलिखित बिंदु केवल अग्निशमन अधिकारी के लिए हैं)

20. भवनों और अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण (INSPECTION OF BUILDINGS AND FIRE PROTECTION DEVICES): आवधिक आधार पर या अपनी गतिविधियों के दौरान अग्निकथाम/खतरनाक सामग्री

संहिता उल्लंघन या खतरों के लिए भवनों का निरीक्षण करना। परिचालन उपयोग के लिए अलार्म, हाइड्रेंट, स्पिंकलर सिस्टम और स्टैंडपाइप सिस्टम का निरीक्षण करना।

(क) अग्नि खतरों की पहचान करने और उन्हें हटाने/अग्नि और भवन संहिता उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के उपाय करने के लिए पूरे परिसर का नियमित रूप से निरीक्षण करना।

(ख) निवासियों/मालिकों के अनुरोध पर भवनों का निरीक्षण करना।

(ग) संहिता का उल्लंघन करने वाले संदिग्ध भवनों की जांच करना।

(घ) संहिता उल्लंघन (जैसे अवरुद्ध निकास, रसायनों का अनुचित भंडारण आदि) को पहचानना।

21. जनसंपर्क (PUBLIC RELATIONS): उन गतिविधियों में संलग्न होना जिनका विभाग की छवि पर स्टाफ के बीच प्रभाव पड़ता है। ऐसी गतिविधियों में स्टाफ को जानकारी प्रदान करना, सहायता या जानकारी चाहने वाले स्टाफ को सहायता और समर्थन प्रदान करना, और सामुदायिक समूहों और आरबीआई परिवार के अन्य सदस्यों को प्रस्तुति देना शामिल है।

(क) आपातकालीन स्थल पर व्यथित व्यक्तियों से निपटना।

(ख) अग्निशमन स्टेशन में अधिकारियों से मिलना, दौरा कराना और जानकारी प्रदान करना।

(ग) सेवा दौरो पर निरीक्षण अधिकारियों या स्टाफ को जानकारी प्रदान करना।

(घ) विभाग की ओर से एप्परेटस और उपकरणों की सार्वजनिक प्रस्तुतियां देना और प्रदर्शन आयोजित करना।

22. प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास (TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT): नौकरी से संबंधित कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ड्रिल और कक्षाओं में भाग लेना। विभागीय संचालन और प्रक्रियाओं में नए विकास से अवगत रहने के लिए आंतरिक ज्ञापन और बुलेटिन पढ़ना। अग्निशमन सेवा में अद्यतित रहने के लिए व्याख्यान, सेमिनार, पाठ्यक्रम आदि में भाग लेना और बाहरी दस्तावेज (जैसे, व्यावसायिक व्यापार प्रकाशन) पढ़ना।

(क) नवीनतम अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों का ज्ञान बनाए रखना।

(ख) अग्नि नियंत्रण से संबंधित भवन संरचनाओं का मूलभूत ज्ञान बनाए रखना।

(ग) रसायनों और अन्य खतरनाक सामग्रियों का मूलभूत ज्ञान बनाए रखना।

(घ) नियमित प्रशिक्षण ड्रिल और सत्रों में भाग लेना और आयोजित करना।

(ङ) शारीरिक फिटनेस सत्र देना और उनमें भाग लेना।

(च) विशेष प्रशिक्षण सत्रों (जैसे, सीपीआर प्रमाणन, विशेष स्कूल, आदि) में भाग लेना।

(छ) विभागीय अपडेट से अवगत रहने के लिए आंतरिक अग्निशमन विभाग बुलेटिन, ज्ञापन आदि की समीक्षा करना।

(ज) अग्निशमन सेवा में वर्तमान विकास से अवगत रहने और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक पत्रिकाओं और प्रकाशनों (जैसे, फायर कमांड) को पढ़ना।

23. आपदा प्रबंधन और व्यापक सुरक्षा सेवाएं (DISASTER MANAGEMENT AND COMPREHENSIVE SAFETY SERVICES): सफल निविदादाता को आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रबंधन में प्रशिक्षित जनशक्ति भी तैनात करनी होगी। ये कर्मी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे:

(क) **पूर्व-आपदा तैयारी और जोखिम शमन (PRE-DISASTER PREPAREDNESS AND RISK MITIGATION):** संभावित खतरों (आग, बाढ़, भूकंप, विद्युत, रासायनिक, आदि) की पहचान करने के लिए बैंक के परिसर का आवधिक जोखिम मूल्यांकन करना।

(ख) **आपातकालीन प्रतिक्रिया संचालन (EMERGENCY RESPONSE OPERATIONS):** अलार्म सक्रिय होने या आपदा कॉल प्राप्त होने पर, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और विशेष बचाव गियर के साथ तुरंत घटना स्थल पर तैनात होना।

(ग) **घटना के बाद की वसूली और दस्तावेजीकरण (POST-INCIDENT RECOVERY AND DOCUMENTATION):** निकासी के बाद घटना स्थल को असुरक्षित पहुंच को रोकने, जांच के लिए सबूतों को संरक्षित करने और लूटपाट या आगे की क्षति से बैंक की संपत्ति की रक्षा करने के लिए सुरक्षित करना।

24. अतिरिक्त कर्तव्य और लचीलापन (ADDITIONAL DUTIES AND FLEXIBILITY):

(क) तैनात कर्मियों को बैंक के बदलते सुरक्षा परिदृश्य, जिसमें महामारी या नागरिक अशांति शामिल है, को बैंक के निर्देशानुसार संबोधित करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलनीय रहना चाहिए।

(ख) विशेष आयोजनों के दौरान उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी, आगंतुक सुरक्षा शिष्टाचार का प्रबंधन, या खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान में सहायता जैसे सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के दायरे में बैंक द्वारा सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कर्तव्य को निष्पादित करना।

(ग) निरंतर परिचालन तत्परता की स्थिति बनाए रखना, यह सुनिश्चित करना कि सभी उपकरण सेवायोग्य हैं और कर्मी किसी भी समय, दिन या रात आपातकालीन स्थितियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं।

25. दस्तावेजीकरण (DOCUMENTATION): अग्निशमन अधिकारी को अग्नि संबंधी मामलों से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज प्रणाली का रखरखाव करना चाहिए। उन्हें कंप्यूटर के उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें बोलचाल और लिखित हिंदी और अंग्रेजी दोनों में धाराप्रवाह होना चाहिए।

26. अग्निशमन के लिए आवश्यक ऐसे अन्य आकस्मिक/संबंधित कार्य।

सामान्य नियम व शर्तें

1. एजेंसी और बैंक के मध्य समझौता: सफल निविदादाता/एजेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदत्त प्रारूप के अनुसार, उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर समझौते की दो प्रतियां निष्पादित करनी होंगी, और इसके सभी व्यय एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे। समझौते की एक-एक प्रति आरबीआई और एजेंसी दोनों के पास सुरक्षित रखी जाएगी।

2. वेतन संरचना: अग्रिशमन कर्मियों की वेतन संरचना "क्षेत्र सी" (Area C) के लिए घड़ी और वार्ड (बिना हथियार) हेतु केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम सिफारिशों के अनुसार अथवा आरबीआई के विवेकानुसार, जो भी लागू हो, के अनुरूप होगी।

(क) उद्धृत सेवा शुल्क में एजेंसी का लाभ और ओवरहेड लागत, बीमा और सभी कर (जीएसटी सहित) शामिल होंगे। इसका भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब बैंक के अधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं और सभी वैधानिक बकाया/करों आदि की कटौती के बाद।

(ख) उद्धृत सेवा शुल्क अटल होगा और यह श्रम स्थितियों, विनियम दरों में उतार-चढ़ाव या किसी अन्य शर्त के अधीन नहीं होगा। एजेंसी अपने द्वारा नियोजित कार्यबल को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी; अतः दरों का उद्धरण करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। जिन निविदाओं में 'उद्धृत दरें' केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी से कम हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) उद्धृत सेवा शुल्क में बीमा प्रभार (कर्मचारी मुआवजा और तृतीय पक्ष दायित्व) और केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी वर्तमान या भविष्य के लागू कर भी शामिल होंगे।

(घ) यदि अनुबंध अवधि के दौरान केंद्र सरकार (केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी) द्वारा वेतन संरचना में परिवर्तन की सिफारिशें प्रकाशित की जाती हैं, तो बैंक उन पर विचार करेगा। इस संबंध में एजेंसी को केंद्र सरकार का वैध अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।

3. बीमा: एजेंसी को अपनी लागत पर, पूरे अनुबंध अवधि के लिए एक 'कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी', एक 'तृतीय पक्ष दायित्व पॉलिसी', और अनुबंध मूल्य के लिए एक 'सर्वजोखिम पॉलिसी' (All Risk Policy) प्राप्त करनी होगी और बनाए रखनी होगी (बाद वाली पॉलिसी आरबीआई गंगटोक और एजेंसी के संयुक्त नाम में होगी)। पूरे अवधि को कवर करने वाली वैध प्रतियां बैंक को प्रस्तुत की जानी होंगी। अग्रिशमन कर्मियों से जुड़ी किसी भी मृत्यु, चोट, दुर्घटना आदि के लिए बैंक कोई दायित्व नहीं लेता है, क्योंकि ऐसे मुआवजे के लिए केवल एजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी है और कार्य के निष्पादन के दौरान व्यक्तियों, संपत्ति या तृतीय पक्षों को होने वाले सभी नुकसानों के *against* बैंक को क्षतिपूर्ति (indemnify) करनी होगी। इन कवरेजों को बनाए रखने में विफलता की स्थिति में बैंक को इन्हें स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने और एजेंसी के बिलों से लागत वसूल करने का अधिकार होगा।

4. भुगतान की शर्तें: उद्धृत शुल्क में तैनात किए गए मानव संसाधन की सेवाओं की लागत शामिल होगी, जिसका भुगतान मासिक आधार पर चालान जमा करने और प्रदर्शन जांच के अधीन किया जाएगा। इसका भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब बैंक के अधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक रही हैं और सभी वैधानिक बकाया/करों आदि की कटौती के बाद। भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा, जो ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मियों द्वारा संचालित/किए गए वास्तविक शिफ्टों और पी एंड एसई (P&SE) द्वारा सत्यापित उपस्थिति पत्रकों तथा अन्य सहायक दस्तावेजों पर आधारित होगा। आरबीआई, गंगटोक, सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को देय राशि से समय-समय पर लागू होने वाले स्रोत पर कर (TDS) और अन्य सभी करों/शुल्कों की कटौती करेगा। बैंक किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि लगे हुए कर्मियों को अगले महीने की 5 तारीख के भीतर उनका हकदार वेतन प्राप्त हो जाए।

बिलों के साथ आरबीआई गंगटोक में तैनात अनुबंधित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

- (i) चालू माह का चालान (Invoice) प्रति।
- (ii) चालू माह का वेतन रजिस्टर (फॉर्म XVII [देखें नियम 78(1)(क)(i) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971], जो व्यक्तिगत ठेका श्रमिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो (यदि लागू हो)।
- (iii) चालू माह की उपस्थिति रजिस्टर/शीट।
- (iv) चालू माह का ईएसआई (ESI) जमा चालान (यदि लागू हो), जिसमें समेकित और विस्तृत

विवरण हो।

- (v) चालू माह का ईपीएफ (EPF) जमा चालान, जैसा लागू हो, जिसमें समेकित और विस्तृत विवरण हो।
- (vi) एजेंसी का बैंक स्टेटमेंट जो बैंक अधिकारियों द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो, जिसमें चालू माह के लिए प्रत्येक कर्मचारी को किए गए वेतन भुगतान का विवरण हो।
- (vii) अनुबंधित कर्मचारियों को किए गए किसी अन्य भुगतान (बोनस आदि) का प्रमाण।
- (viii) एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI) और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियम के तहत सभी लागू नियमों, ईपीएफओ, ईएसआईसी (यदि लागू हो), बोनस और श्रमिकों की नियुक्ति से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी अन्य सभी अधिनियम/नियमों के तहत लागू फॉर्मों का पालन कर रहे हैं।

एजेंसी को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वेतन पर्ची (salary slip) जारी करनी होगी। एक अनंतिम प्रारूप निम्नलिखित है:

कर्मचारी का नाम	माह	पदनाम
उपस्थित दिनों/ड्यूटी की संख्या: -		
वेतन विवरण (SALARY STATEMENT)		
देय/भुगतान किया गया	ईएसआई नं.	
पीएफ नं.		
मूल वेतन	बोनस	एचआरए
अन्य भत्ते	अतिरिक्त भत्ता/लेट ड्यूटी	सकल वेतन
ओटी (OT)		
सकल वेतन + ओटी	कटौतियां (कर और शुल्क)	
शुद्ध देय (रु.)	कटौती राशि	
	ईपीएफ (%)	
	ईएसआई (%)	
	सुरक्षा जमा राशि	
	अन्य कटौती:	
	कुल कटौती:	

सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा आगामी महीने की 10 तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक, गंगटोक के नाम पर मासिक चालान (invoice) जारी किया जाएगा।

5. **वित्तीय समावेशन:** सफल निविदादाता/एजेंसी/फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के परिसर में तैनात सभी कर्मचारियों का एक बचत बैंक खाता हो। यहाँ प्रदान किए गए अनुबंध के खंडों का औपचारिक हिंदी अनुवाद दिया गया है: **एटीएम कार्ड के साथ:** वेतन का भुगतान केवल NEFT/RTGS के माध्यम से किया जाएगा और वेतन का भुगतान उपरोक्त पैरा 4 में वर्णित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए।
6. **निविदा क्षति और तत्काल समापन:** यदि समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है और/या एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं (जनशक्ति का अनुरक्षण न करना, ड्यूटी पर सतर्क न रहना, अनुशासनहीनता और अनुचित वर्दी/सजावट आदि), तो समझौते की किसी भी अवधि के दौरान, एक माह के लिए कुल मासिक बिल का अधिकतम 10% राशि निविदा क्षति के रूप में काटी जाएगी। यदि किसी भी बाद के महीने में प्रदर्शन असंतोषजनक बना रहता है, तो असंतोषजनक सेवा की गंभीरता के आधार पर सात दिन के छोटे नोटिस के साथ एजेंसी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। अनुबंध रद्द/समाप्त किए जाने या जुर्माना लगाए जाने वाले deficient सेवा की प्रकृति का निर्णय पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगा। दंडात्मक कार्रवाई में भविष्य के बैंक टेंडरों में भाग लेने के लिए एजेंसी को अयोग्य घोषित करना भी शामिल हो सकता है।
7. **यौन उत्पीड़न:** सफल एजेंसी को "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करना होगा। यदि बैंक के परिसर के भीतर इसके किसी कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधि के यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत होती है, तो शिकायत सफल एजेंसी द्वारा गठित

आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और सफल एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

a. सफल एजेंसी के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।

b. सफल एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

c. यदि घटना में सफल निविदादाता/एजेंसी/फर्म/कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए, यदि सफल एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन दुर्व्यवहार सिद्ध होता है, तो बैंक के कर्मचारी को किसी भी मौद्रिक राहत सहित किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए सफल एजेंसी जिम्मेदार होगी।

d. सफल निविदादाता/एजेंसी/फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कोई भी कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधि बैंक सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति से और सफल एजेंसी की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न होने तक निर्दिष्ट समय सीमा के बाद बैंक के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा या नहीं रहेगा।

8. गैर-प्रकटीकरण खंड:

a) सफल एजेंसी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण किसी भी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी, जो इस निविदा से जुड़े संविदात्मक दायित्वों को निभाने के दौरान सफल एजेंसी के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, और इसे हमेशा सर्वाधिक गोपनीयता में रखेगी।

b) सफल एजेंसी अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को निभाने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए जहां तक आवश्यक हो।

c) सफल एजेंसी बैंक/नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगी, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी या प्रकट नहीं करेगी।

d) सफल एजेंसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक/नियोक्ता द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगी। उपरोक्त का पालन करने में विफलता सफल एजेंसी की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में मानी जाएगी और बैंक/नियोक्ता क्षति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का हकदार होगा।

e) सफल एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी ताकि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्वों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सके।

f) गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सफल एजेंसी के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

9. **अप्रत्याशित घटनाएं :** यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी पक्ष को अप्रत्याशित घटनाएँ का सामना करना पड़ता है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, ईश्वरीय कार्य आदि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्वों को निभाने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष तुरंत ऐसे घटना के घटित होने के बारे में दूसरे पक्ष को सूचित करेगा। न तो किसी पक्ष को ऐसे घटना के कारण अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। अनुबंध के तहत

दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में रहने के बंद होने के बाद यथाशीघ्र पुनः शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी दायित्व का निर्वहन ऐसे घटना के कारण परस्पर सहमत अवधि से अधिक, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, के लिए रोका या विलंबित होता है, तो किसी भी पक्ष को अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा।

10. **अनुबंध का समापन:** बैंक को अनुबंध अवधि के किसी भी समय बिना कोई कारण बताए ठेकेदार को 30 (तीस) दिन का लिखित नोटिस जारी करके इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके विपरीत, ठेकेदार केवल बैंक को 90 (नब्बे) दिन का लिखित नोटिस जारी करके इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। इस खंड के तहत किसी भी पक्ष द्वारा समाप्ति की स्थिति में:

a) ठेकेदार को केवल समाप्ति की प्रभावी तारीख तक वास्तव में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा।

b) लाभ के नुकसान, भविष्य की कमाई, खाली प्रभार, या समय से पहले समाप्ति के कारण किसी अन्य क्षतिपूर्ति के लिए बैंक द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

c) ठेकेदार अग्नि सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए पूरे नोटिस अवधि के दौरान निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य रहेगा।

उपरोक्त में निहित बातों के पूर्वग्रह के बिना, बैंक/नियोक्ता अपने पूर्ण और निरपेक्ष विवेक से, लिखित नोटिस द्वारा बिना कोई कारण बताए और बिना किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान किए तत्काल अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि-

a) बैंक/नियोक्ता की राय में (जिस पर सफल एजेंसी द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और जो सफल एजेंसी पर बाध्यकारी होगा) सफल एजेंसी अनुबंध को बैंक की संतुष्टि के अनुसार लागू करने में विफल रहती है या इनकार करती है; और/या

b) सफल एजेंसी अनुबंध की किसी भी शर्त और शर्त का उल्लंघन करती है; और/या

c) किसी भी कारण से, सफल एजेंसी किसी भी कानून के तहत अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निभाने के लिए अयोग्य हो जाती है; और/या

d) बैंक से पूर्व लिखित अनुमति के बिना सफल एजेंसी के स्वामित्व/साझेदारी या उसके व्यवसाय में कोई बदलाव होता है; और/या

e) सफल एजेंसी को दिवालिया/दिवाला घोषित किया जाता है या इसके लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या यदि इसके पर या सफल निविदादाता/एजेंसी/फर्म/कंपनी/एजेंसी की किसी भी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, सफल एजेंसी या इसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को बैंक/नियोक्ता से क्षति या क्षति के रूप में किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा।

11. **स्टाम्प ड्यूटी और अन्य कानूनी शुल्क:** अनुबंध के सौंपने के बाद समझौते के निष्पादन के लिए एजेंसी स्टाम्प ड्यूटी और/या अन्य कानूनी शुल्क वहन करेगी। समझौते की दो प्रतियां बनाई जाएंगी और बैंक मूल प्रति रखेगा और एजेंसी द्वितीय प्रति रखेगी।

12. **अखंडता खंड :** यदि कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है, तो नियोक्ता को सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्कसंगत

व्यवहार करना होगा। बोलीदाताओं की ओर से यह वादा कि वे कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं को कोई लाभ या समझौता प्रस्तावित नहीं करेंगे। बोलीदाता व्यापारिक संबंध के हिस्से के रूप में नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। बोलीदाताओं को एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना होगा। बोलीदाताओं को किसी अन्य कंपनी के साथ किसी भी उल्लंघन का खुलासा करना होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांतों को प्रभावित कर सकता है।

13. मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन):

(a) इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित किसी भी विवाद और/या मतभेद का समाधान संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, यदि संयुक्त चर्चा द्वारा विवादों का समाधान नहीं होता है, तो मामला भारतीय रिजर्व बैंक, गंगटोक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

(b) एकल मध्यस्थ का पंचाट सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा संचालित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान RBI, गंगटोक होगा।

(c) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने और अनुबंध की अवधि के दौरान, न तो कोई पक्ष मध्यस्थता के कारण उस कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार होगा जिससे विवाद संबंधित है और न ही एजेंसी को अनुबंध के शर्तों के अनुसार भुगतान करना बंद किया जाएगा।

(d) इस निविदा से संबंधित सभी मामले केवल गंगटोक के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

14. अन्य शर्तें:

1. एजेंसी को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कार्यकर्ता मुआवजा अधिनियम, 1923; वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, और/या उन पर लागू होने वाले किसी भी अन्य नियम/विनियम और/या कानूनों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं। जब भी आवश्यक समझा जाए, बैंक को ऐसे अनुपालन का प्रमाण मांगने का अधिकार सुरक्षित है और एजेंसी को उसका पालन करना होगा। उपरोक्त उल्लिखित विधायी अधिनियमों या किसी अन्य सांविधिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए एजेंसी पूर्णतः जिम्मेदार होगी और उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन न करने से उत्पन्न सभी चूक, दोष, उल्लंघन और/या किसी भी दावे, मांग, नुकसान, चोट और व्यय से RBI, गंगटोक को क्षतिपूर्ति प्रदान करती रहेगी। यदि सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों या इनके तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है, तो RBI, गंगटोक को ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय को वसूलने का अधिकार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग, नुकसान या चोट के कारण उठाना या व्यय करना पड़ सकता है, ठेकेदार के मासिक भुगतान या ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि से या बैंक गारंटी को भुनाने द्वारा।
2. एजेंसी को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 21 के तहत प्रदान किए गए अनुसार, भारत सरकार, गंगटोक के सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और उपरोक्त अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून की अन्य आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा, जिसमें विफल होने की स्थिति में इसके लिए होने वाली कार्रवाई/कार्यवाही के लिए केवल वही जिम्मेदार

- होगा। एजेंसी द्वारा लगाए गए श्रमिकों के संबंध में किए गए कार्यों, कमी या चूक के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
3. यदि एजेंसी इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों या इनके तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है, तो RBI, गंगटोक को ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय को एजेंसी के मासिक भुगतान और सुरक्षा जमा राशि/निष्पादन बैंक गारंटी से वसूलने का अधिकार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग, नुकसान या चोट के कारण उठाना या व्यय करना पड़ सकता है।
 4. यदि अग्निशमन कर्मियों की बीमारी, अवकाश या किसी भी कारण से ड्यूटी से अनुपस्थिति की स्थिति होती है, तो एजेंसी ऐसे कर्मियों को बदलने का वचन देती है। अग्निशमन कर्मियों के प्रतिस्थापन के संबंध में भुगतान के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, जो कि एजेंसी का दायित्व होगा।
 5. एजेंसी को उसके द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों के नाम, माता-पिता का नाम, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण हालिया फोटोग्राफ के साथ जमा करने होंगे। काम के लिए तैनात एजेंसी के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, यह उनके फोटोग्राफ/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करने होंगे।
 6. एजेंसी अकेले ही सभी समय पर वेतन/मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी कि वे कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हों, और बैंक को प्रदान किए गए सुरक्षा गार्डों के लिए समय पर देय होने पर आंशिक भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, जोखिम बीमा और ESIS का भुगतान करेगी तथा सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखेगी। यह सहमत और समझा गया है कि ऐसे सुरक्षा गार्डों को बैंक का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और उनके पास बैंक के против कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। हालांकि, बैंक को जब भी उचित लगे, ऐसे रिकॉर्ड मांगने और निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है और एजेंसी को उचित समय में, मान लीजिए चार दिन से अधिक नहीं, में वे बैंक को प्रदान करने होंगे। एजेंसी को 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में नियोक्ता का अंश जमा करना होगा। एजेंसी को ESIC और EPFO में क्रमशः ESI और EPF का अंश जमा करना होगा और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारियों को तुरंत ESI कार्ड और EPF कार्ड दिया जाए।
 7. अग्निशमन कर्मियों के रहने की व्यवस्था एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर प्रदान की जाएगी। इस संबंध में बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
 8. एजेंसी द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी एजेंसी के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या उसके द्वारा तैनात अग्निशमन कर्मियों की विफलता या लापरवाही के कारण RBI, गंगटोक को हुए किसी भी नुकसान/क्षति की स्थिति में या एजेंसी द्वारा समझौते के उल्लंघन की स्थिति में जब्त या समायोजित की जा सकेगी।
 9. ड्यूटी की अवधि के दौरान अग्निशमन कर्मिण भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति की रक्षा करेंगे और सामान्य परिस्थितियों में बैंक द्वारा अधिकृत अधिकारी(यों) द्वारा एजेंसी के माध्यम से सौंपे गए अन्य सुरक्षा कार्य करेंगे। हालांकि, आपातकालीन स्थिति आदि में जब एजेंसी से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कार्य बैंक द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी(यों) द्वारा सीधे तैनात अग्निशमन कर्मियों को सौंपे जा सकते हैं और ऐसे कर्मिण ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे। यदि कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान कोई सुरक्षा मामला उत्पन्न होता है जिसमें पुलिस हस्तक्षेप शामिल है, तो एजेंसी के प्रतिनिधि को मामला आगे बढ़ाना चाहिए और पुलिस के साथ एफआईआर दर्ज करना आदि सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। यदि कोई ओवरटाइम भत्ता लागू होता है तो उसके भुगतान के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी और बैंक इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा।
 10. यदि तैनात किए गए कर्मियों की लापरवाही के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसे एजेंसी से वसूला जाएगा और एजेंसी को उचित नोटिस देने के बाद इसका निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप महाप्रबंधक /

- महाप्रबंधक (HRMD) द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, एजेंसी को क्षेत्रीय निदेशक के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।
11. जैसा कि इस निविदा दस्तावेज़ में कहीं और उल्लेख किया गया है, यहाँ एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि एजेंसी के अपने कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ कोई भी सेवा शर्त लागू करने की बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिन्हें बैंक में ऊँची पर लगाया जा सकता है। हालांकि, अपनी स्वयं की जानकारी, अनुसंधान और विश्लेषण, बजट/प्रशासनिक उपाय के लिए, यदि बैंक एजेंसी से कोई जानकारी मांगता है, तो उसे चार दिन के भीतर प्रदान करनी होगी। इसके अलावा, बैंक यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे नियोक्ता होंगे ताकि बैंक की छवि को संभावित शर्मिंदगी caused होने के कारण उन्हें अपनी सेवा शर्तों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त न हो।
 12. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समझौते की अवधि के दौरान बैंक की अनुमति के बिना तैनात कर्मचारियों को स्थानांतरित/बदल नहीं करेगा।
 13. तैनात किए गए प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन आवश्यक और अनिवार्य है। तैनाती से पहले सभी अग्निशमन कर्मियों का उचित पुलिस सत्यापन कराना सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में एक प्रमाणपत्र सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा बैंक को जमा किया जाएगा कि अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैनात उसके कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन पूरा हो गया है और इसे बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो, मांगा जा सकता है।
 14. यह कि सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी संभालने पर, सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक या उनके नामित व्यक्ति के परामर्श से अपने कर्मियों को कार्य के उचित आवंटन के लिए एक तंत्र विकसित करेगी। तत्पश्चात, सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर सौंपे गए कार्य की समीक्षा करेगी और अपनी प्रणाली को और सुव्यवस्थित करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक को सलाह देगी। सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक या इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पदनामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों/अनुदेशों से बद्ध रहेगी और उनका पालन करेगी।
 15. यह कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए कि सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन कर रहे हैं, एजेंसी द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों पर आकस्मिक जांच (सरप्राइज चेक) करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 16. यह कि यदि सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात किया गया कोई भी व्यक्ति अपेक्षित मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है या अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं करता है या दुरुव्यवहार करता है या किसी भी गैर-कानूनी दंगे या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त होता है, तो सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों को तुरंत वापस बुलाएगी और उनके против उपयुक्त कार्रवाई करेगी। इसके अतिरिक्त, सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी उपरोक्त कृत्य की स्थिति में तुरंत उस विशेष व्यक्ति को बदल देगी।
 17. सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को अग्नि नियंत्रण कक्षाओं में अपनी लागत पर एक समर्पित मोबाइल नंबर प्रदान करना अनिवार्य होगा।
 18. यह कि सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी प्रकार के दावों के against भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक को क्षतिपूरित (इंडेमनिफाई) रखेगी। यदि सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के तैनात किए गए किसी भी कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधि के साथ किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका मुकाबला करना सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक को पक्षकार बनाया जाता है और मामले की पैरवी करनी होती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक को वकील की फीस और अन्य व्ययों की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान सफल

निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक की मांग पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देयता न आए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक को क्षतिपूर्ति रखेगी।

19. यह कि सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि तैनात किए गए व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना अग्नि सुरक्षा उपकरणों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक की कोई भी संपत्ति परिसर से बाहर न ले जाएं। किसी भी बेईमानी, सांठगांठ और/या कुनियत के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय के रूप में, गेट पास पर हस्ताक्षर करने के लिए पदनामित और प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर लिखित रूप में सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को सूचित किए जाएंगे, साथ ही यदि कोई हो तो बाद के परिवर्तन भी सूचित किए जाएंगे।
20. भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक के परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की देखभाल करना और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों की तुरंत RBI, गंगटोक के सुरक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट करना सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। RBI, गंगटोक की अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी चल और अचल संपत्ति और परिसंपत्तियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और यदि सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी या उसके कर्मियों की बेईमानी और/या किसी भी चूक के कारण RBI, गंगटोक को कोई हानि होती है, तो सफल निविदादाता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी मांग पर बैंक को हुई हानि की पूर्ति करेगी। उसे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के लिए RBI, गंगटोक के अधिकारियों के परामर्श से कदम भी उठाने चाहिए।
21. एजेंसी को तैनाती के 179 दिनों के भीतर कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से रोटेशन (बदलाव) करना होगा। RBI में कोई भी कर्मचारी 179 दिनों से अधिक अवधि के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी के पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन होना चाहिए।

तकनीकी और वित्तीय बोली के संबंध में सामान्य अनुदेश (ई-निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में पठनीय) (स्कैन करके अपलोड किया जाना है)

भाग- I (तकनीकी बोली)

1.1. भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक कार्यालय परिसर में एक वर्ष की अवधि के लिए अग्निशमन कर्मचारी (अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु) उपलब्ध कराने हेतु कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से ई-निविदाएं (खुली-दोहरी बोली प्रणाली) आमंत्रित की जाती हैं, जो निर्धारित अनुबंधात्मक दायित्वों के अनुसार होंगी। हालांकि, संबंधित संस्था द्वारा सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन और अनुबंधात्मक दायित्वों के पालन के अधीन रहते हुए, बैंक द्वारा निर्णय ली गई अवधि के लिए अनुबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध का अनुमानित मूल्य निविदा अनुसूची के खंड-I, क्रम संख्याक (a) के अनुसार होगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी (जिसे आगे इस दस्तावेज़ में "एजेंसी" कहा गया है) अपनी नियुक्ति में प्रशिक्षित और वर्दीधारी अग्नि सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराएगी और इस दस्तावेज़ में वर्णित अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के मुख्य कार्यालय परिसर में इमारतों, उपकरणों, सामग्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी तथा उक्त परिसर की निगरानी और निरीक्षण करेगी।

1.2. निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड। निम्नलिखित पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियां/फर्मों/एजेंसियां आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

क्र.सं.	मानदंड	अपेक्षित दस्तावेज़
1.	पात्र संस्थाएं: निविदादाता एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए, अर्थात् एकल स्वामित्व वाली फर्म, साझेदारी फर्म, सीमित देयता साझेदारी (LLP) फर्म, या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां।	अनुलग्नक-IV, साथ ही कानूनी स्थिति के अनुसार पंजीकरण/निगमन का प्रमाणित प्रति, और अन्य विवरण जैसे- GST पंजीकरण संख्या, PAN संख्या, EPF पंजीकरण, ESIC। 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले अंतिम तीन वित्तीय वर्षों का बैंक विवरण प्रति।
2.	कार्य अनुभव: अनुभव का विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।	(क) हवाई अड्डों, रक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), दूतावासों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़े निजी क्षेत्र की कंपनियों आदि में समान कार्य का न्यूनतम तीन (03) वर्ष का अनुभव (31 अगस्त 2026 तक)। आवेदकों को अपने ग्राहकों की सूची और पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य के विवरण को दर्शाने वाले दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। (ख) एजेंसी को संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक सुस्थापित और प्रतिष्ठित संगठन होना चाहिए।
3.	प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य: अनुलग्नक-II के अनुसार।	अनुबंध की अनुमानित लागत निविदा अनुसूची के खंड-I, क्रम संख्याक (a) के अनुसार होगी। एजेंसी को 31 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान समान कार्य (अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करना) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है (कार्य आदेश की प्रतियां जमा करें), जैसा कि नीचे दिया गया है: (क) तीन समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 40% हो।

		अथवा (ख) दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 50% हो। अथवा (ग) एक समान कार्य, जिसकी लागत अनुमानित लागत का कम से कम 80% हो। संतोषजनक पूर्णता/निष्पादन के लिए ग्राहक रिपोर्ट को दस्तावेज़ी प्रमाण के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए (स्कैन की गई PDF प्रति)। तदनुसार कार्य आदेश जमा करें (अनुलग्नक-II के अनुसार)।
4.	वार्षिक कारोबार: अग्रिम सेवा गतिविधियों से पिछले 3 वर्षों (अर्थात् 31 मार्च 2026 तक) के दौरान अनुबंध की अनुमानित लागत के बराबर न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए।	वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कारोबार निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र अनुलग्नक-V के अनुसार और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित, जिस पर प्रमाणपत्र पर अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN) हो। (यदि 2023-24 के लिए ऑडिटेड तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक उस वर्ष के लिए GST रिटर्न जमा कर सकता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अस्थायी तुलन पत्र प्रदान किया जा सकता है)।
5.	पंजीकरण:	एजेंसी को निम्नलिखित पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी: क. कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों के साथ पंजीकरण का प्रमाणपत्र, साथ ही ज्ञापन और अनुच्छेद। ख. दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र। ग. ईएसआई निगम (ESI Corporation) से प्रमाणपत्र (नवीनतम)। घ. EPF और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत EPF संगठन से प्रमाणपत्र (नवीनतम)। ड. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)। च. सेवा कर/GST पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र। छ. निविदा की अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए विशेष रूप से इस कार्य के उद्देश्य से इसके बैंकर द्वारा जारी शोधन प्रमाणपत्र (Solvency Certificate)। शोधन प्रमाणपत्र की जारी करने की तारीख 31 अगस्त, 2026 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
6.	कार्यालय का स्थान:	एजेंसी का सिविकम में एक कार्यालय (पंजीकृत/कॉर्पोरेट/शाखा/क्षेत्रीय/जोनल/प्रतिनिधि/संपर्क) होना चाहिए (पते के प्रमाण की स्कैन प्रतियां अपलोड की जानी हैं)। सिविकम में कार्यालय परिसर की अनुपस्थिति में, एजेंसी को अनुबंध प्रदान किए जाने के 90 दिनों के भीतर एक कार्यालय खोलना होगा और इसका दस्तावेज़ी

		प्रमाण जमा करना होगा, जिसमें विफलता की स्थिति में अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।
--	--	--

1.3. कंपनी/फर्म/एजेंसी की पात्रता विवरण:

(क) कंपनी/फर्म/एजेंसी का विस्तृत पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र, कंपनी का ज्ञापन और अनुच्छेद, संबंधित दस्तावेज और सभी निदेशकों तथा जिम्मेदार पदाधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख (Partnership Deed), यदि कोई हो तो मुख्तारनामा (Power of Attorney) और फर्म का गठन करने वाले सभी साझेदारों का विवरण प्रस्तुत करना होगा; और एजेंसी या एकल स्वामित्व (Proprietorship) के मामले में, इसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, नाम और पता आदि प्रस्तुत करना होगा (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाएगी)।

(ख) पूर्व-अर्हता मानदंडों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य अनुभव का विवरण, कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के समर्थन में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी अन्य केंद्र पर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए पूर्व में कोई कार्य किया गया है, तो उस पिछले अनुभव का विवरण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रदान किया जाना चाहिए (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाएगी)।

(ग) बैंकों के नाम और पते की लिखित जानकारी पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए, जैसे कि संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके बैंक के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के नाम, वर्तमान संपर्क/डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर आदि (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाएगी)।

1.4. पात्र निविदादाता को (अनुलग्नक-III) में दी गई जांच सूची (Check List) को संलग्न करना होगा। ई-निविदा जमा करते समय 'पोर्टल ई-कॉमर्स' पोर्टल के माध्यम से मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ (PDF) प्रारूप में ऑनलाइन अपलोड की जानी होंगी (प्रत्येक फाइल का आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए)।

1.5. आवेदन करने वाले आवेदकों को आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.6. इच्छुक निविदादाताओं को निविदा अनुसूची के खंड-I, क्रम संख्यांक (f) के अनुसार ईएमडी (EMD) जमा करनी होगी, जो एनईएफटी (NEFT)/लाभार्थी के माध्यम से जमा की जाएगी:

- **लाभार्थी का नाम:** भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)
- **लाभार्थी खाता संख्या:** 186003001
- **IFSC कोड:** RBIS0GTPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)
- **शाखा:** भारतीय रिजर्व बैंक, गंगटोक

कृपया आवेदन करते समय दिए गए प्रारूप में यूटीआर (UTR) लेन-देन विवरण अवश्य उल्लेख करें।

1.7. किसी भी परिस्थिति में ईएमडी (EMD) के बिना निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1.8. यदि निविदादाता निविदा वैधता अवधि के दौरान अपनी निविदा वापस लेता है या कार्य के आवंटन/अनुबंध के निष्पादन में विफल रहता है, तो ईएमडी (EMD) को जब्त कर लिया जाएगा।

भाग- II (वित्तीय बोली)

2.1 ऑनलाइन निविदा के भाग-II में केवल वित्तीय बोली के प्रारूप (Proforma) में सेवा प्रदाता द्वारा उद्धृत दरें ही अंकित की जानी चाहिए।

2.2 निविदा की गई दरों में कंपनी/एजेंसी/फर्म के सभी दायित्व शामिल होने चाहिए, जैसे कि वैधानिक दायित्व (न्यूनतम मजदूरी, यदि लागू हो तो कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान आदि)। इस संबंध में सभी केंद्र सरकार के कानूनों/दिशा-निर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है। दरों में साइट पर आवश्यक सामग्री, श्रम और औजार/मशीनरी आदि की लागू भी शामिल होनी चाहिए। दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' के अनुरूप होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों का उल्लेख **नहीं** किया जाना है।

2.3 वैधानिक बाध्यताओं जैसे न्यूनतम मजदूरी (भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार), ईपीएफ (EPF), ईएसआई (ESI), बोनस आदि का पालन न करने वाली वित्तीय बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

2.4 कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से सभी लागू वैधानिक कटौतियां की जाएंगी। अतः, वित्तीय बोली सर्वसमावेशी (All-inclusive) होनी चाहिए।

2.5 निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदादाता की अर्हता निर्धारण में सहायता के लिए, बैंक अपने विवेक से किसी भी निविदादाता से उसकी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, जिसके लिए उत्तर देने का एक उचित समय दिया जाएगा। यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी स्पष्टीकरण बैंक के लिए उचित नहीं पाया जाता है, तो उसे विचार में नहीं लिया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उसका उत्तर लिखित रूप में होना चाहिए। निविदा की कीमतों या सार (Substance) में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मांगा, प्रस्तावित या अनुमति प्राप्त नहीं किया जाएगा।

2.6 यदि कोई निविदादाता बैंक द्वारा स्पष्टीकरण हेतु निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

2. निविदा खोलना निविदा खोलने के लिए यथापूर्व खंड-I में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.1 निविदा की वैधता: निविदा और कीमतें प्रारंभ में भाग-I खोले जाने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी। इस अवधि को निविदादाता और बैंक के बीच लिखित पारस्परिक करार द्वारा और बढ़ाया जा सकता है। निविदादाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता है और न ही उद्धृत दरों में परिवर्तन कर सकता है।

3.2 वे निविदा दस्तावेज जो निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.3 सशर्त बोलियों (Conditional bids) को भी संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.4 केवल उन निविदादाताओं का भाग-II (वित्तीय बोली) एक बाद की तारीख को खोला जाएगा, जो तकनीकी बोली (भाग-I) में अर्हता प्राप्त करते हैं। अर्हता प्राप्त निविदादाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।

3.5 बैंक निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट: कृपया सभी निविदादाता ध्यान दें कि यदि भविष्य में निविदा में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी किया जाता है, तो उसकी सूचना केवल उपरोक्तानुसार RBI की वेबसाइट और पोर्टल वेबसाइट पर दी जाएगी; इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

निविदाकार का नाम और हस्ताक्षर

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

तकनीकी बोली प्रपत्र - 1

(इसे निविदादाता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

अमडो गोलाई

गंगटोक

महोदय,

विषय: गंगटोक स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध हेतु ई-निविदा।

उपर्युक्त के उत्तर में और भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों से पूर्णतः सहमत होते हुए, मैं/हम निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं:

(क) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, मैंने/हमने निविदा दस्तावेज़ में निहित सभी नियमों, शर्तों और अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें पूर्णतः समझ लिया है, तथा इनका पालन करने का वचन देते हैं।

(ख) मैं/हम यह समझते हैं कि समय-समय पर केंद्र सरकार/संबंधित अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, मैं/हम यह भी समझते हैं कि विभिन्न कानूनों के तहत यथाविहित सभी वैधानिक भुगतान, जैसे- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), बोनस, ग्रेच्युटी, अवकाश, कार्यमुक्ति प्रभार, वर्दी आदि का भुगतान भी मुझे/हमें करना होगा।

(ग) मैं/हम निविदा अनुसूची के खंड-I, क्रम संख्यांक (f) के अनुसार बयाना जमा राशि (ईएमडी/जमानत राशि) जमा करेंगे।

(घ) अनुबंध प्राप्त होने पर, मैं/हम एक कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) प्रस्तुत करेंगे, जिसका मूल्य अनुबंध मूल्य का 10% होगा और यह अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद छह माह तक वैध रहेगी।

(ङ) मैं/हम यह भी समझते हैं कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गंगटोक के पास बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका निर्णय मुझ पर/हम पर बाध्यकारी होगा।

(च) मैं/हमारे पास कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आदि के संबंध में वैध पंजीकरण हैं, जिनकी प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की गई हैं।

(छ) मैं/हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि हमारी निविदा सफल पाई जाती है और स्वीकार कर ली जाती है, तो हम बैंक की आवश्यकतानुसार आरबीआई में अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे।

(ज) मैं/हम यह भी समझते हैं कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध (एग्रीमेंट) को निष्पादित करने में, या कार्य को उचित रूप से पूरा करने में, या अनुबंध की नियमों व शर्तों के उल्लंघन (जो मुझसे/हमसे संबंधित हो) की स्थिति में बैंक गारंटी को भुनाने में मेरी/हमारी विफलता होती है, तो बैंक द्वारा सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा।

(झ) मैं/हम इसके द्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि निविदा में किए गए कथन और प्रदान की गई जानकारी प्रत्येक विवरण में पूर्ण, सत्य और सही हैं।

मैंने/हमने ई-खरीदारी के लिए अनुदेशों, निविदादाताओं के लिए सामान्य अनुदेशों, मूल्यांकन/चयन मानदंडों, कार्य के व्यापक दायरे, सामान्य नियमों व शर्तों, और उपरोक्त स्पष्ट रूप से उल्लिखित अतिरिक्त शर्तों को पढ़ लिया है और यदि अनुबंध प्रदान किया जाता है, तो उसे निष्पादित करने के लिए इन्हें स्वीकार करते हैं।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

निविदाकार का नाम और हस्ताक्षर

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

तकनीकी बोली प्रपत्र - 2: निविदादाता का विवरण

क्र.सं.	अपेक्षित जानकारी	निविदादाता की टिप्पणी
1.	निविदादाता की श्रेणी (एकल स्वामी/साझेदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी (LLP)/कंपनी)	
2.	निविदादाता का नाम (फर्म/कंपनी का नाम और एकल स्वामी/निदेशकों के नाम अंकित करें)	
3.	निविदादाता का पंजीकरण संख्या और कानूनी स्थिति	
4.	निगमन/पंजीकरण की तारीख	
5.	संपर्क और संचार विवरण सहित निविदादाता का कार्यालय पता	
6.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण	नाम: पदनाम: पता: दूरभाष: मोबाइल: ई-मेल:
7.	यदि कोई हो, तो गंगटोक में निविदादाता का कार्यालय पता संपर्क और संचार विवरण सहित	
8.	वित्तीय पात्रता: पिछले 3 वर्षों (अर्थात् 31 मार्च 2026 तक) के दौरान अग्रिशमन सेवाओं की गतिविधियों से प्राप्त वार्षिक कारोबार न्यूनतम निविदा की अनुमानित लागत के बराबर होना चाहिए। (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए कारोबार निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र अनुलग्नक-V के अनुसार प्रस्तुत किया जाए और इसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाए, जिस पर प्रमाणपत्र पर अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN) अंकित हो।) (यदि 2023-24 के लिए ऑडिटेड तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक उस वर्ष का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अस्थायी तुलन पत्र प्रदान किया जा सकता है।)	
9.	अनुभव: 31 अगस्त 2026 तक कम से कम तीन वर्षों से निरंतर व्यवसाय (अग्रिशमन सेवाएं प्रदान करने) में होने का प्रमाण। (अनुभव का विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना होगा।)	
10.	अनुबंध की अनुमानित लागत निविदा अनुसूच के खंड-I, क्रम संख्यांक (a) के अनुसार होगी। एजेंसी को 31 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान समान कार्य (अग्रिशमन कर्मचारी प्रदान करना) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें): (क) तीन समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 40% हो। अथवा (ख) दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 50% हो। अथवा	

	(ग) एक समान कार्य, जिसकी लागत अनुमानित लागत का कम से कम 80% हो।	
11.	नियिदादता के बैंक विवरण सभी जानकारी केवल स्पष्ट और बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में भरी जानी चाहिए। उपरोक्त विवरण वाला रद्द चेक (Cancelled Cheque) की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।	
12.	दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र।	
13.	ईएसआई (ESI) निगम से प्रमाणपत्र (नवीनतम)।	
14.	ईपीएफ (EPF) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाणपत्र (नवीनतम)।	
15.	ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।	
16.	सेवा कर/जीएसटीआईएन (GSTIN) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।	
17.	कंपनी के पैन कार्ड का विवरण।	
18.	अपने बैंकर से प्राप्त शोधन प्रमाणपत्र (Solvency Certificate), जो विशेष रूप से इस कार्य के लिए हो और जिसकी राशि अनुबंध की अनुमानित लागत के अनुसार हो। शोधन प्रमाणपत्र की जारी करने की तारीख 30 अगस्त, 2026 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।	
19.	यदि कोई वाद-विवाद (Litigation) शामिल है, तो उसका उल्लेख करें।	
20.	क्या कोई विवाद (वैधानिक प्राधिकारियों के साथ सहित) लंबित हैं और कार्यवाही की वर्तमान स्थिति का विवरण दें।	

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

निविदाकार का नाम और हस्ताक्षर

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

अनुभव का विवरण (निविदादाता के पत्रशीर्ष पर)

आवेदक का नाम:

क्र.सं.	ग्राहक का विवरण	कार्य का संक्षिप्त विवरण (जैसे- तैनात किए गए अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या आदि)	कार्य प्रारंभ होने की तारीख	कार्य पूर्ण होने की तारीख	कार्य की लागत	अनुभव/कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र संलग्न
						हाँ
1.						
2.						
3.						

सभी स्तंभों में विवरण भरना अनिवार्य है। कार्य को कालानुक्रमिक क्रम में भरा जाएगा, जिसमें सबसे पुराना कार्य सबसे पहले भरा जाएगा।

31 अगस्त, 2026 तक कम से कम तीन वर्षों से निरंतर व्यवसाय (अग्नि सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने) में होने का प्रमाण एक अनिवार्य पात्रता मानदंड है।

की ओर से और उनकी अनुमति से:..... (फर्म का नाम और मुहर)

हस्ताक्षर:..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

व्यक्ति का नाम:

पदनाम:

निविदादाता की मुहर:

तारीख:

स्थान:.....

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

अग्नि सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली फर्म/कंपनी के निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

गंगटोक

ग्राहक का नाम और पता:

मेसर्स..... से प्राप्त सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	प्राप्त सेवा की प्रकृति	
2.	समझौता संख्या और दिनांक	
3.	समझौता राशि (फर्म/एजेंसी/कंपनी)	
4.	कंपनी/एजेंसी/फर्म के साथ कब से व्यवहार चल रहा है	
5.	प्रदान किए गए कर्मियों की संख्या (क) अग्निशमन अधिकारी (ख) अग्निशमन पर्यवेक्षक (ग) लीड अग्निशमन कर्मी (घ) अग्निशमन कर्मी (ङ) अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति (च) अप्रशिक्षित व्यक्ति	
6.	अनुबंध की नियमों व शर्तों के अनुपालन के संबंध में टिप्पणी	
7.	अनुबंध की नियमों व शर्तों के अनुपालन न करने पर लगाया गया कोई जुर्माना	
8.	कोई अन्य जानकारी	

न्यूनतम तीन विभिन्न ग्राहकों से संतोषजनक पूर्णता/निष्पादन के लिए ग्राहक रिपोर्ट।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता).....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम:

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

बोली जमा करने के लिए जाँच सूची

निविदादाता का नाम:

क्र.सं.	मद	पृष्ठ संख्या (तकनीकी बोली प्रस्तुति में) से
1.	बयाना जमा राशि (EMD) एनईएफटी (NEFT) / नेट बैंकिंग के माध्यम से और पोर्टल पर विवरण अपलोड करना।	
2.	कानूनी स्थिति के अनुसार पंजीकरण/निगमन के प्रमाणन की प्रमाणित प्रति।	
3.	दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र।	
4.	ईएसआई (ESI) निगम से प्रमाणपत्र (नवीनतम)।	
5.	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत ईपीएफ (EPF) संगठन से प्रमाणपत्र (नवीनतम)।	
6.	ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।	
7.	जीएसटी (GST) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।	
8.	कंपनी के पैन कार्ड का विवरण।	
9.	अपने बैंकर से प्राप्त शोधन प्रमाणपत्र (Solvency Certificate), जो विशेष रूप से इस कार्य के लिए हो और जिसकी राशि अनुबंध की अनुमानित लागत के बराबर हो। शोधन प्रमाणपत्र की जारी करने की तारीख 31 मार्च 2026 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।	
10.	न्यूनतम वार्षिक कारोबार: अग्नि सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने की गतिविधियों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात् 31 मार्च 2026 तक) के दौरान अनुबंध की अनुमानित लागत के बराबर होना चाहिए। (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए कारोबार निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र अनुलग्नक-V के अनुसार प्रस्तुत किया जाए और इसे प्रैक्टिसिंग-चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाए, जिस पर प्रमाणपत्र पर अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN) अंकित हो।) (यदि 2025-26 के लिए ऑडिटेड तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक उस वर्ष का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अस्थायी तुलन पत्र प्रदान किया जा सकता है।)	
11.	अनुभव: 31 अगस्त 2026 तक कम से कम तीन वर्षों से निरंतर व्यवसाय (अग्नि सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी उपलब्ध कराने) में होने का प्रमाण। (अनुभव का विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना होगा।)	
12.	अनुबंध की अनुमानित लागत निविदा अनुसूची के खंड-I, क्रम संख्यांक (a) के अनुसार होगी। एजेंसी को 31 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान समान कार्य (अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करना) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा (कार्य आदेशों की प्रतियाँ जमा करें): (क) तीन समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 40% हो।	

	अथवा (ख) दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 50% हो। अथवा (ग) एक समान कार्य, जिसकी लागत अनुमानित लागत का कम से कम 80% हो।	
13.	न्यूनतम तीन विभिन्न ग्राहकों से ग्राहक रिपोर्ट। (अनुलग्नक-II के अनुसार)	
14.	तकनीकी बोली प्रपत्र - 1	
15.	तकनीकी बोली प्रपत्र - 2	
16.	वित्तीय बोली*	
17.	आईएसओ (ISO) प्रमाणपत्र (मद)	

*केवल ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

मैंने/हमने अपनी प्रस्तुति के साथ उपरोक्त सूची की जाँच कर ली है। मुझे/हमें ज्ञात है कि यदि बोली में उपरोक्त दस्तावेज नहीं हैं, तो हमारी बोली को अस्वीकार किए जाने की संभावना है।

स्थान: निविदादाता का नाम और हस्ताक्षर (मुहर सहित)

दिनांक: (कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

नोट: उपरोक्त उल्लिखित सूची फर्म/एजेंसी की पात्रता तय करने के लिए एक विस्तृत सूची नहीं है। यह फर्म/एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वह पूरी बोली दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़े और निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करे।

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

निविदादाता का वचनपत्र

1. मैं/हम, मैसर्स, एतद्वारा प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में मेरी/हमारी फर्म नीचे उल्लिखित सभी प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है और इसका प्रमाण संलग्न किया गया है:

क्र.सं.	पंजीकरण किस हेतु	पंजीकृत (हाँ/नहीं)
क.	कानूनी हैसियत के अनुसार पंजीकरण/निगमन के प्रमाणन की प्रमाणित प्रति।	
ख.	दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र।	
ग.	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत ईपीएफ (EPF) संगठन से पंजीकरण।	
घ.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से पंजीकरण।	
ङ.	वस्तु और सेवा कर (GST) का पंजीकरण।	
च.	स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड।	
छ.	ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।	

2. इसके अतिरिक्त, मैं/हम, मैसर्स, एतद्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

(क) हमारी फर्म ने पिछले तीन वर्षों में कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा है।

(ख) खराब प्रदर्शन के कारण किसी भी संगठन के साथ हमारा अनुबंध समाप्त नहीं किया गया है।

(ग) किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)/या किसी अन्य द्वारा हमारी प्रतिभूति जमा राशि कभी भी जब्त नहीं की गई है।

(घ) हमारी फर्म ने पिछले तीन वर्षों में दिवालियापन/दिवालिया होने की स्थिति का सामना नहीं किया है।

(ङ) हमारी फर्म को किसी भी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्टेड (काली सूची में डाला गया) या कार्य करने से वंचित (debarred) नहीं किया गया है।

की ओर से और उनकी अनुमति से:..... (फर्म का नाम और मुहर)

हस्ताक्षर:(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

व्यक्ति का नाम:.....

पदनाम:.....

निविदादाता की मुहर:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

वार्षिक कारोबार का प्रमाणपत्र (चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेटरहेड पर, जिस पर UDIN अंकित हो)

निविदादाता का नाम:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रुपये में)
1.	वित्त वर्ष 2023-24	
2.	वित्त वर्ष 2024-25	
3.	वित्त वर्ष 2025-26 (यदि वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिटेड तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अस्थायी तुलन पत्र प्रदान किया जा सकता है।)	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निहित जानकारी निविदादाता के ऑडिटेड वित्तीय लेखों के अनुसार सही है।

यूडीआईएन (UDIN) संख्या:

दिनांक: (चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर, नाम और मुहर)

नोट:-

(क) उपरोक्त प्रपत्र को पूर्णतः भरा जाना चाहिए और इसे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा duly प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र पर अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN) अंकित की गई हो।

(ख) निविदादाता को वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के ऑडिटेड वित्तीय लेखे भी प्रस्तुत करने होंगे।

अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप

(निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किया जाना है)

सेवा में, क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक, अम्दो गोलाई,

गंगटोक - 737102

विषय: अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ज्ञान और सूचना के अनुसार, मेसर्स सुश्री /श्री , जिनका पता ऊपर दिया गया है, हमारे बैंक के ग्राहक हैं और प्रतिष्ठित हैं। इन्हें ₹..... (रुपये) की सीमा तक किसी भी अनुबंध/कार्य के लिए विश्वसनीय माना जा सकता है।

यह प्रमाणपत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी पर किसी भी गारंटी या उत्तरदायित्व के बिना जारी किया जा रहा है।

दिनांक:

नाम और पदनाम:

बैंक की ओर से:

(हस्ताक्षर और मुहर)

स्थान:

दिनांक:

1. बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक के पास दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।



भाग II

भारतीय रिज़र्व बैंक

शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष

गंगटोक

वित्तीय बोली

गंगटोक में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए

ई निविदा

भाग – II:

वित्तीय बोली का प्रारूप (PROFORMA OF FINANCIAL BID)

उपर्युक्त के संदर्भ में और द्वारा आपके द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों से पूर्णतः सहमत होते हुए, मैं/हम निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करते हैं:

विवरण	कुल प्रति व्यक्ति/प्रति माह राशि पर मासिक प्रतिशत के संदर्भ में
A1. सेवा शुल्क/ एजेंसी लाभ (प्रति वर्ष) प्रारंभिक 12 माह की कुल लागत का ___% <i>(इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: तैनात सुरक्षा सेवा कर्मचारियों के माध्यम से कार्य पूर्ण कराने हेतु सभी साधनों द्वारा प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी/प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने पर होने वाला समस्त व्यय, और कर्मकार मुआवजा बीमा पॉलिसी, सर्वजोखिम पॉलिसी, प्रशिक्षण, जूते, लाठी, उपकरणों का रखरखाव और खपत सामग्री, वार्षिक रिचार्ज सहित मोबाइल फोन, अन्य बीमा, मजदूरी और वैधानिक भुगतान के अतिरिक्त अन्य शुल्क आदि की लागत।)</i>	% <i>(3.85% से कम सेवा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा)</i>
वस्तु एवं सेवा कर (GST)	यथा लागू

कृपया ध्यान दें कि उद्धृत दरें GST/सभी करों सहित होनी चाहिए।

वित्तीय बोली केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरी जाएगी।

नोट: (क) उद्धृत की जाने वाली दरें क्षेत्र "C" के लिए 'वॉच एंड वार्ड (बिना हथियार)' के तहत न्यूनतम मजदूरी पर भारत सरकार के नवीनतम अधिसूचना के अनुरूप होनी चाहिए। ये दरें अन्य अनिवार्य प्रभारों यथा- भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), कर्मचारी जमा लिंकित बीमा (EDLI), बोनस आदि से भी सुसंगत होनी चाहिए, जैसा कि नवीनतम अधिसूचनाओं में निर्धारित है।

(ख) मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त उद्धृत मूल वेतन और महंगाई भत्ता (VDA) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हैं और अन्य अनिवार्य प्रभार यथा- भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), कर्मचारी जमा लिंकित बीमा (EDLI), बोनस आदि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(ग) मैं/हम सहमत हैं कि यदि उपर्युक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है, तो वित्तीय बोली को अस्वीकार किया जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

स्थान:

निविदादाता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

(कृपया सभी पृष्ठों के निचले भाग में हस्ताक्षर करें)

ई-निविदा ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (PDF प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

मजदूरी विश्लेषण (दरों का विवरण)

(यह केवल उदाहरण के उद्देश्य से है और इसे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसे 'वित्तीय बोली' अनुभाग के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए। दर्शाई गई मजदूरी दरें भूतपूर्व सैनिकों (ESM) के लिए लागू रक्षा महानिदेशालय (DGR) मजदूरी दरों के अनुसार हैं।)

मजदूरी विश्लेषण: भारतीय रिजर्व बैंक, गंगटोक में तैनात अग्निशमन कर्मचारी (मासिक लागत)

क्र.सं.	विवरण	अग्निशमन अधिकारी की दर (दिनांक 01.04.2026 तक)	अग्निकर्मियों की दर (दिनांक 01.04.2026 तक)	रिलीवर अग्निकर्मियों की दर (दिनांक 01.04.2026 तक)
क	अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या	1	6	-
ख	दैनिक न्यूनतम मजदूरी (दिनांक 01.04.2026 तक) (केंद्र सरकार क्षेत्र 'C' हेतु मूल वेतन + महंगाई भत्ता)*	₹1,038.73	₹781.00	₹781.00
ग	मासिक ड्यूटी (प्रति माह 26 ड्यूटी दिन और 4 सवेतन साप्ताहिक अवकाश को ध्यान में रखते हुए; रिलीवर प्रभार वास्तविक कार्य दिवसों के अनुसार होंगे)	30	30	24* (मान्यता)
घ	प्रति व्यक्ति मासिक कुल न्यूनतम मजदूरी (ख x ग)	₹31,161.90	₹23,430.00	₹18,744.00
ङ	भविष्य निधि (EPF) अंशदान: 'घ' का 13% अथवा ₹15,000 का 13%, जो भी कम हो (प्रशासनिक प्रभार सहित)	₹1,950.00	₹1,950.00	₹1,950.00
च	कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) अंशदान: 'घ' का 3.25% (केवल तभी यदि 'घ' < ₹21,000 हो, जो कि 1 अप्रैल, 2025 तक की वर्तमान सीमा है)	₹0.00	₹0.00	₹609.18
छ	मासिक वैधानिक बोनस ('घ' का 8.33%)	₹2,595.79	₹1,951.72	₹1,561.38
ज	चिकित्सा भत्ता (निश्चित)	₹1,000.00	₹1,000.00	₹1,000.00
झ	वर्दी धुलाई भत्ता (निश्चित)	₹1,625.00	₹1,625.00	₹1,625.00
ञ	अन्य भत्ते (आवास, यातायात, अग्नि सुरक्षा आदि - निश्चित)	₹3,700.00	₹3,200.00	₹3,000.00
ट	प्रति माह कुल मजदूरी (घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ)	₹42,032.69	₹33,156.72	₹28,489.56
ठ	एजेंसी लाभ/प्रभार के बिना मासिक कुल लागत (01 अग्निशमन अधिकारी,	₹42,032.69	₹1,98,940.32 (6 के लिए)	₹28,489.56

	06 अग्रिकर्मिक और एक रिलीवर अग्रिकर्मिक के लिए)			
ड	लीड अग्रिकर्मिक भत्ता (प्रमुख अग्रिकर्मिक)	-	₹1,000.00 (प्रति व्यक्ति)	-
ढ	एजेंसी लाभ/प्रभार और GST के बिना प्रारंभिक एक माह की कुल लागत	₹2,70,462.57 (कुल योग)		
ण	एजेंसी लाभ/प्रभार और GST के बिना प्रारंभिक 12 माह की कुल लागत	₹32,45,551.00 (कुल योग)		
त	सेवा शुल्क/ एजेंसी लाभ (प्रति वर्ष) 'ण' का ___% (इसमें कर्मकार मुआवजा बीमा पॉलिसी, सर्वजोखिम पॉलिसी, प्रशिक्षण, जूते, लाठी, उपकरणों का रखरखाव और खपत सामग्री, वार्षिक रिचार्ज सहित मोबाइल फोन, अन्य बीमा, मजदूरी और वैधानिक भुगतान के अतिरिक्त अन्य प्रभार आदि की लागत शामिल होनी चाहिए।)	% (कृपया प्रतिशत (%)) में दर्ज करें। 3.85% से कम बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।)		
थ	वस्तु एवं सेवा कर (GST) @ 18%			
द	GST @18% सहित कुल अनुबंध मूल्य (प्रति माह)	प्रणाली द्वारा गणना किया जाएगा		

*रिलीवर को केवल वास्तविक उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा। कोई भी सवेतन साप्ताहिक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

नोट:

1. दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अथवा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रक्षा महानिदेशालय (DGR) मजदूरी दरों के अनुरूप होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त दरों की गणना भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू DGR मजदूरी दरों के अनुसार की गई है।
2. मजदूरी दरें (महंगाई भत्ता सहित) समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र), श्रम और रोजगार मंत्रालय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में DGR द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित की जाएंगी, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को।
3. दरों में तैनात कर्मचारियों के माध्यम से कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी/प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने पर होने वाले समस्त व्यय को शामिल किया जाना चाहिए।
4. सेवा शुल्क केवल प्रतिशत (%) के रूप में उद्धृत किया जाना है।
5. सेवा शुल्क प्रति व्यक्ति/प्रति माह राशि के प्रतिशत (%) के रूप में दिया जाना चाहिए।
6. यदि मूल वेतन плюс महंगाई भत्ता (VDA) ₹21,000 प्रति माह से अधिक है, तो मूल वेतन plus VDA पर 3.75% का ESIC लागू नहीं होगा।
7. टीडीएस (TDS) प्रावधानों और सेवा शुल्क के अन्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए, 3.85% से कम सेवा शुल्क के उद्धरण को अप्रासंगिक माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. वर्दी प्रभार: बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेकानुसार इनमें संशोधन किया जा सकता है।
9. एजेंसी को तैनात कर्मचारियों को किए गए भुगतान से संबंधित वेतन पर्ची (Wage Slip) प्रदान करनी होगी।
10. गंगटोक 'क्षेत्र-C' के अंतर्गत आता है। ESIC, बोनस, EPF, EDLI, ESI और प्रशासनिक प्रभारों के लिए नवीनतम लागू दरों/मजदूरी सीमाओं का भी संदर्भ लें।

11. यदि एक से अधिक निविदादाता न्यूनतम दर (L-1) पर बोलियां प्रस्तुत करते हैं, तो कार्य उस फर्म/एजेंसी/निविदादाता को दिया जाएगा जिसे मूल्यांकन मापदंड के अनुसार कुल 100 अंकों में से सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए हों।
12. वर्ष के प्रत्येक माह को 30 दिनों का माना जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह 26 ड्यूटी दिन और 4 सवेतन अवकाश दिन शामिल होंगे।